

(सिविल अपील संख्या 7964/2019)

रामायण इस्पात प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य.....अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य.....प्रत्यर्थीगण

के साथ

(सिविल अपील संख्या 7966/2019)

और

(सिविल अपील संख्या 7965/2019)

शीर्ष टिप्पणियाँ (हैड नोट्स)

राज्य आयोग का अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस पर क्षेत्राधिकार: विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 राज्य आयोगों को उनके संबंधित राज्यों के भीतर अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस को विनियमित करने का स्पष्ट अधिकार देती है, भले ही बिजली का स्रोत राज्य के बाहर हो।

- मुख्य निर्धारक राज्य के भीतर वितरण: बिजली का अंतिम उपयोग और राज्य के ग्रिड के भीतर डिलीवरी महत्वपूर्ण है, न कि इसका उत्पत्ति स्थल। राज्य आयोग का क्षेत्राधिकार अंतर-राज्यीय लेनदेन पर भी बना रहता है।
- ओपन एक्सेस की परिभाषा में दोनों प्रकार के लेनदेन शामिल: अधिनियम की धारा 2(47) में ओपन एक्सेस की परिभाषा में अंतर-राज्यीय और अंतर-राज्य दोनों तरह के लेनदेन शामिल हैं, जो राज्य आयोगों के अधिकार क्षेत्र की पुष्टि करता है।
- दंडात्मक प्रावधान उचित और ग्रिड स्थिरता हेतु आवश्यक: अनुबंध-मांग से विचलन के लिए जुर्माने ग्रिड की स्थिरता और अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, जो मनमाने नहीं हैं।
- विनियम ओपन एक्सेस को बाधित नहीं, बल्कि विनियमित करते हैं: 2016 के विनियम ओपन एक्सेस के अधिकार को समाप्त नहीं करते, बल्कि ग्रिड की विश्वसनीयता और

निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए इसे विनियमित करते हैं, जिससे सट्टा दुरुपयोग रोका जा सके।

निर्णय

विक्रम नाथ, न्यायाधीश

- वर्तमान अपील में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित दो अलग-अलग आदेशों को चुनौती दी गई है- एक जोधपुर बेंच द्वारा दिनांक 29.08.2016 और दूसरा जयपुर बेंचद्वारा दिनांक 06.09.2016 । ये अपीलें राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (ओपन एक्सेस के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2016¹ की वैधता को दी गई चुनौतियों से उत्पन्न हुई हैं, जिन्हें राजस्थान विद्युत नियामक आयोग² ने विद्युत अधिनियम, 2003³ की धारा 181 के साथ धारा 42 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार किया है। रिट याचिकाकर्ताओं, यहां अपीलकर्ताओं, उच्च न्यायालय के समक्ष, और अब इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं की प्राथमिक शिकायत, कैप्टिव पावर प्लांट्स⁴ और बिजली के अन्य बड़े उपभोक्ताओं के लिए ओपन एक्सेस के प्रयोग पर 2016 के विनियमों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और शर्तों से संबंधित है।
- हमारे समक्ष चुनौती को जन्म देने वाले तथ्यों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि यह है कि उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता औद्योगिक उत्पादन में लगे हुए हैं और उनकी बिजली खपत की पर्याप्त आवश्यकताएँ हैं। उच्च न्यायालय द्वारा सुविधा के लिए सिविल अपील संख्या 7966/2019 में प्रतिवादी संख्या 6 हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा दायर रिट याचिकाओं में से एक से लिए गए तथ्य यह हैं कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी

है और सीसा और जस्ता सहित अलौह धातुओं के खनन, गलाने और उत्पादन के व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी चंदेरिया, दरीबा में कई इकाइयाँ संचालित करती है। और जावर, जो सीपीपी द्वारा समर्थित हैं। कैप्टिव पावर जेनरेशन के अलावा, कंपनी ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (सिविल अपील संख्या 7964/2019 में प्रतिवादी संख्या 3, सिविल अपील संख्या 7965/2019 में प्रतिवादी संख्या 2, और सिविल अपील संख्या 7966/2019 में प्रतिवादी संख्या 3) के साथ अपनी संविदात्मक मांग को पूरा करने के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए समझौते भी किए हैं। इन समझौतों के तहत, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अपनी परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी समय अपने दरीबा जिंक स्मेल्टर यूनिट में वितरण लाइसेंसधारी से 70 मेगावाट तक बिजली खींचने का हकदार है।

3. 2016 के विनियमनों के लागू होने से पहले, अपीलकर्ता राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (ओपन एक्सेस के लिए नियम और शर्तें) विनियमन 2004⁵, के तहत ओपन एक्सेस का लाभ उठा रहे थे, जिसके तहत उन्हें वितरण लाइसेंसधारी से अनुबंधित मांग में किसी भी तरह की कमी किए बिना, अपने कैप्टिव उत्पादन और ओपन एक्सेस दोनों स्रोतों से बिजली खींचने की अनुमति थी। 2004 के विनियमनों के तहत ओपन एक्सेस सुविधा ने अपीलकर्ताओं को वितरण लाइसेंसधारी से अपनी अनुबंधित मांग के माध्यम से कमी को पूरा करने की लचीलेपन के साथ, प्रत्येक 15 मिनट के ब्लॉक के लिए एक दिन पहले अपनी बिजली आवश्यकताओं को शेड्यूल करने की अनुमति दी।

4. आरईआरसी ने 06.07.2015 को सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से प्रस्तावित विनियमन 2016 का मसौदा जारी किया और टिप्पणियाँ और सुझाव आमंत्रित किए।

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अन्य हितधारकों के साथ विस्तृत आपत्तियाँ प्रस्तुत कीं, जिसमें बताया गया कि मसौदा विनियमन के कुछ प्रावधान 2003 के अधिनियम के उद्देश्यों और ओपन एक्सेसको बढ़ावा देने के सिद्धांत के साथ असंगत थे। आयोग ने 27.01.2016 को विनियमन 2016 को अधिसूचित किया।

5. 2016 के विनियमनों द्वारा लाया गया मुख्य परिवर्तन ओपन एक्सेस के माध्यम से बिजली के एक साथ आहरण और वितरण लाइसेंसधारी से अनुबंधित मांग पर सीमाएं लगाना था। नई व्यवस्था के तहत, यदि कोई उपभोक्ता ओपन एक्सेस के माध्यम से बिजली खरीदने का विकल्प चुनता है, तो वितरण लाइसेंसधारी से अनुबंधित मांग ओपन एक्सेस के माध्यम से निर्धारित बिजली की मात्रा से कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, 2016 के विनियमनों ने अनुबंधित मांग से अधिक आहरण और कम आहरण के लिए दंड लगाया।

6. उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के समक्ष अपीलकर्ताओं ने 2016 के विनियमनों के कई विशिष्ट प्रावधानों को इस आधार पर चुनौती दी कि वे मनमाने, अनुचित और 2003 के अधिनियम की वैधानिक योजना के विपरीत हैं। प्राथमिक विवाद यह था कि 2016 के विनियमन ने ओपन एक्सेस और अनुबंधित मांग के एक साथ उपयोग पर अनुचित प्रतिबंध लगाकर 2003 के अधिनियम की धारा 42 के तहत गारंटीकृत ओपन एक्सेस के वैधानिक अधिकार को कमजोर करने की कोशिश की। अपीलकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि निकासी में भिन्नता के लिए जुर्माना लगाना, भले ही अप्रत्याशित ब्रेकडाउन या परिचालन संबंधी अनिवार्यताओं के कारण हो, अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण था। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि 2016 के विनियमन ने ओपन एक्सेस के माध्यम से निर्धारित बिजली की मात्रा से अनुबंधित मांग को कम करके,

प्रभावी रूप से उपभोक्ताओं को ओपन एक्सेस के अपने वैधानिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए दंडित किया। यह प्रस्तुत किया गया कि 2003 के अधिनियम के तहत वैधानिक ढांचे में बिजली बाजार में प्रतिस्पर्धा और दक्षता को बढ़ावा देने के साधन के रूप में ओपन एक्सेस की परिकल्पना की गई थी, और 2016 के विनियम इस उद्देश्य के विपरीत थे।

7. उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के समक्ष अपीलकर्ता अंतर-राज्यीय उपभोक्ता थे, जबकि जोधपुर पीठ के समक्ष अपीलकर्ता अंतर-राज्यीय उपभोक्ता थे, जो राजस्थान राज्य के भीतर अपने कैप्टिव संयंत्रों से बिजली प्राप्त करते थे। जयपुर पीठ के समक्ष चुनौती विशेष रूप से 2016 के विनियमनों के विनियम 26(6) और 26(7) से संबंधित थी, जिसके बारे में अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे 2003 के अधिनियम के तहत आयोग के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण होता है। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि 2016 के विनियम आरईआरसी की नियामक शक्ति के अतिरिक्त-क्षेत्रीय अनुप्रयोग के बराबर हैं, जो 2003 के अधिनियम के तहत प्रदत्त वैधानिक अधिदेश से परे है। यह तर्क दिया गया कि 2003 का अधिनियम राज्य आयोगों को अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस को विनियमित करने का अधिकार देता है, लेकिन अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस को नहीं, जो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग⁶ के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि आरोपित विनियम 2003 के अधिनियम के विपरीत हैं तथा इन्हें रद्द किया जाना चाहिए।

8. जोधपुर पीठ ने 29.08.2016 के फैसले में 2016 के विनियमों की वैधता को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि आयोग को ग्रिड स्थिरता एवं कुशल भार वितरण

सुनिश्चित करने के लिए ओपन एक्सेस को विनियमित करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय ने देखा कि आक्षेपित विनियमनों को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया है कि उपभोक्ता ग्रीड पर किसी भी गेमिंग गतिविधि में शामिल न हों, और इस प्रकार 2016 के विनियमनों के पीछे तर्क 2003 के अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना है, जबकि यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं के साथ-साथ वितरण लाइसेंसधारियों के हितों को संतुलित किया जाए। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं के इस दावे को खारिज करते हुए कि विनियमन भारत के संविधान के भाग III के तहत संरक्षित उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, उच्च न्यायालय ने देखा कि वे यह साबित करने में विफल रहे हैं कि 2016 के विनियमन उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, या आरईआरसी के पास इन विनियमों को तैयार करने की क्षमता का अभाव है या वे स्पष्ट रूप से मनमाने या अनुचित हैं; और इस प्रकार केवल इसलिए कि 2016 के विनियमनों के बारे में दावा किया जाता है कि वे अपीलकर्ताओं को कुछ असुविधा या कठिनाई का कारण बनते हैं, उन्हें अवैध या 2003 के अधिनियम के विरुद्ध नहीं माना जा सकता है।

9. जयपुर पीठ ने भी 2016 के विनियमों की वैधता को बरकरार रखा और सी.ए. 7964/2019 में अपीलकर्ताओं की रिट याचिका को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि उनकी चुनौती और उच्च न्यायालय के समक्ष उनकी याचिका में मुद्दे जोधपुर पीठ के फैसले द्वारा पूरी तरह से कवर किए गए थे।

10. हमारे समक्ष तीनों अपीलों में अपीलकर्ता इस आधार पर उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को चुनौती दे रहे हैं कि जोधपुर पीठ यह समझने में विफल रही कि 2016 के नियम सीपीपी के प्रति भेदभावपूर्ण हैं क्योंकि वे ओपन एक्सेस का लाभ उठाने के लिए उन

पर अनुचित और अत्यधिक प्रतिबंध लगाते हैं, जो 2003 के अधिनियम के उद्देश्यों के विपरीत है। इसके अलावा, जयपुर पीठ के आदेश को चुनौती देने वाले अपीलकर्ताओं का तर्क है कि पीठ यह विचार करने में विफल रही कि आरईआरसी के पास अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस को विनियमित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, जो 2003 के अधिनियम के तहत सीईआरसी के अनन्य क्षेत्राधिकार में आता है।

11. इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय मुद्दे निम्नलिखित हैं:

- i. क्या आरईआरसी को 2003 के अधिनियम के तहत अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस को विनियमित करने का अधिकार है?
- ii. क्या अनुबंधित मांग से निकासी में भिन्नता के लिए जुर्माना लगाना, 2003 के अधिनियम की धारा 42 के तहत ओपन एक्सेस के अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध है?
- iii. क्या विनियमन 26(7) एक दिन पहले 24 घंटे की अग्रिम सूचना की आवश्यकता के लिए अधिकारातीत है, जिससे तत्काल कार्यवाही को रोका जा सके क्या यह खरीद को प्रतिबंधित करने तथा 2003 के अधिनियम द्वारा संरक्षित ओपन एक्सेस में कृत्रिम अवरोध उत्पन्न करने के लिए है?
- iv. क्या विनियमन 21 मनमाना और भेदभावपूर्ण है, जिससे सीपीपी और राज्य वितरण कंपनियों के बीच अनुचित भेद पैदा करके कैप्टिव बिजली उत्पादन को हतोत्साहित किया जा रहा है?
- v. क्या 2016 के विनियमनों द्वारा अपीलकर्ताओं के ओपन एक्सेस के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है?

12. हमने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है।

अपीलकर्ताओं के तर्क

13. अपीलकर्ताओं ने 2016 के विनियमों की वैधता को लेकर व्यापक चुनौती दी है। यह चुनौती मुख्य रूप से अतिरिक्त अधिभार, शेड्यूलिंग आवश्यकता और विचलन के लिए दंड लगाने से संबंधित विनियमों के विरुद्ध है। 2019 की सिविल अपील संख्या 7964 में, अपीलकर्ताओं ने अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस को विनियमित करने के लिए आरईआरसी के अधिकार क्षेत्र को भी चुनौती दी है, यह तर्क देते हुए कि ऐसा अधिकार क्षेत्र विशेष रूप से 2003 के अधिनियम के तहत सीईआरसी के अधिकार क्षेत्र में आता है।

14. सिविल अपील संख्या 7964/2019 में अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है कि 2016 के विनियमों के माध्यम से अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस को विनियमित करने के लिए आरईआरसी के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है। अपीलकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि 2003 के अधिनियम की योजना के तहत, अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस को विनियमित करने का अधिकार केवल सीईआरसी के पास है। अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस को विनियमित करने के संबंध में आरईआरसी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने वाले अपीलकर्ताओं का मामला यह है कि विनियमन 26(7) अनिवार्य रूप से अपीलकर्ताओं को क्रय शक्तियों से वंचित करता है क्योंकि यह अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस पर शर्तें लगाता है। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि ये शर्तें, जैसे कि 24 घंटे की समय-सारणी अवधि की आवश्यकता, बिजली के उपयोग की अग्रिम सूचना और निर्धारित मात्रा का 75% न्यूनतम उपभोग सीमा, राज्य आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और सीईआरसी में निहित शक्तियों का उल्लंघन करती हैं।

15. अपीलकर्ताओं ने 2003 के अधिनियम की धारा 2(36) का हवाला दिया, जो "अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन" को इस प्रकार परिभाषित करता है:

(36) "अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली" में शामिल हैं

- i. एक राज्य के क्षेत्र से दूसरे राज्य तक मुख्य पारेषण लाइन के माध्यम से विद्युत के परिवहन के लिए कोई प्रणाली;
- ii. किसी मध्यवर्ती राज्य के क्षेत्र में विद्युत का संवहन तथा राज्य के भीतर विद्युत का संवहन, जो विद्युत के ऐसे अंतर-राज्यीय संप्रेषण से संबद्ध है;
- iii. किसी राज्य के क्षेत्र के भीतर किसी केंद्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा निर्मित, स्वामित्वाधीन, प्रचालित, अनुरक्षित या नियंत्रित प्रणाली पर विद्युत का ट्रांसमिशन।"

उपरोक्त परिभाषा के आलोक में, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि केवल इसलिए कि राजस्थान राज्य में ट्रांसमिशन लाइनों का उपयोग बिजली पहुंचाने के लिए किया जाता है, यह अंतर-राज्यीय लेनदेन नहीं रह जाता है, क्योंकि उक्त लाइनों का उपयोग अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस का उपयोग करके बिजली पहुंचाने के लिए केवल आकस्मिक है।

16. अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस 2003 के अधिनियम की धारा 79(1)(सी) के तहत सीईआरसी के अनन्य क्षेत्राधिकार में आने वाला मामला है। 2003 का अधिनियम स्पष्ट रूप से सीईआरसी और राज्य आयोगों के बीच अधिकार क्षेत्र का सीमांकन करता है। यह तर्क दिया गया कि इस मामले में धारा 86(1)(सी) के तहत राज्य आयोग, आरईआरसी की शक्ति अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस को

विनियमित करने तक ही सीमित है, और इसलिए, आरईआरसी द्वारा अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस को विनियमित करने का कोई भी प्रयास 2003 के अधिनियम के विरुद्ध है। अपीलकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सिविल अपील संख्या 7965/2019 और सिविल अपील संख्या 7966/2019 में याचिकाकर्ता राजस्थान के भीतर स्थित अपने कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों से कैप्टिव बिजली के अंतर-राज्यीय उपभोक्ता हैं। इसलिए, 2019 की सिविल अपील संख्या 7964 में अपीलकर्ताओं द्वारा विनियमन 26(7) को चुनौती एक अलग आधार पर है, क्योंकि यह अंतर-राज्यीय लेनदेन के लिए 2016 के विनियमों के अतिरिक्त-क्षेत्रीय अनुप्रयोग से संबंधित है, जो आरईआरसी की विधायी क्षमता से परे है।

17. अपीलकर्ताओं ने 2003 के अधिनियम की धारा 79(1)(सी) का हवाला देते हुए कहा कि इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि सीईआरसी बिजली के संचरण को विनियमित करेगा और बिजली के अंतर-राज्यीय संचरण के लिए शुल्क निर्धारित करेगा। 2003 के अधिनियम की धारा 2(36) में "अंतर-राज्यीय संचरण" को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिजली के परिवहन के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए, राज्य की सीमाओं के पार बिजली के संचरण से जुड़ा कोई भी ओपन एक्सेस लेनदेन अंतर-राज्यीय लेनदेन के रूप में योग्य होगा, जो विशेष रूप से सीईआरसी के विनियामक डोमेन के अंतर्गत आता है। अपीलकर्ताओं ने कहा कि 2003 के अधिनियम की धारा 86(1)(सी) राज्य आयोगों को केवल अंतर-राज्यी ओपन एक्सेस की सुविधा प्रदान करने का अधिकार देती है। अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस को विनियमित करने की शक्ति में अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस लेनदेन को विनियमित करने का अधिकार शामिल नहीं है। 2003 के अधिनियम के तहत विनियामक योजना सीईआरसी और

राज्य आयोगों के बीच अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट विभाजन स्थापित करती है, जिसमें सीईआरसी के पास अंतर-राज्यीय लेनदेन पर विशेष अधिकार होता है और राज्य आयोगों के पास अंतर-राज्यीय लेनदेन पर अधिकार होता है।

18. अपीलकर्ताओं का तर्क था कि ऐसे अंतर-राज्यीय लेन-देन पर आरईआरसी द्वारा लगाया गया कोई भी अधिभार या विनियामक आवश्यकता 2003 के अधिनियम के विपरीत है और राज्य कानून के क्षेत्र से बाहर लागू होने के बराबर है। अपीलकर्ताओं ने आगे दलील दी कि उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के निष्कर्ष, जिसने अंतर-राज्यीय उपभोक्ताओं के संबंध में 2016 के विनियमों की वैधता को बरकरार रखा, अंतर-राज्यीय उपभोक्ताओं पर लागू नहीं हो सकते। उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के समक्ष चुनौती अंतर-राज्यीय उपभोक्ताओं से संबंधित थी, जिनके लेन-देन सीईआरसी द्वारा स्थापित विनियामक ढांचे द्वारा शासित होते हैं, न कि आरईआरसी द्वारा, और इस प्रकार वे जोधपुर पीठ के फैसले के दायरे में नहीं आएंगे।

19. इसके अलावा, अपीलकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि आरईआरसी का अधिकार क्षेत्र 2003 के अधिनियम की धारा 86(1)(ए) द्वारा परिचालित है, जिसके अनुसार राज्य आयोग "राज्य के भीतर" थोक, थोक या खुदरा बिजली के उत्पादन, आपूर्ति, संचरण और वहीलिंग के लिए शुल्क निर्धारित करेगा। इस प्रकार, ओपन एक्सेस के संबंध में आरईआरसी की शक्तियाँ केवल राज्य के भीतर हैं, उससे परे नहीं। जबकि, सीईआरसी को धारा 79(1)(सी) के तहत बिजली के अंतर-राज्यीय संचरण को विनियमित करने का अधिकार दिया गया है।

20. अपीलकर्ताओं ने 2003 के अधिनियम की धारा 42 का भी संदर्भ दिया, जिसमें प्रावधान है कि इस प्रावधान के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरईआरसी

वितरण लाइसेंसधारी की आपूर्ति के दायित्व से उत्पन्न होने वाली निश्चित लागत को पूरा करने के लिए क्रॉस सब्सिडी अधिभार; वहीलिंग शुल्क; वहीलिंग पर अतिरिक्त अधिभार, यदि कोई हो, लगा सकता है। इस प्रकार, आरईआरसी केवल परिचालन लागत को कारक बनाने की अपनी शक्ति के भीतर है। धारा 2(47) के तहत प्रदान की गई "ओपन एक्सेस" की परिभाषा का भी संदर्भ दिया गया, जो इस प्रकार है:

(47) "ओपन एक्सेस" से तात्पर्य पारेषण लाइनों या वितरण प्रणाली या ऐसी लाइनों या प्रणाली से संबद्ध सुविधाओं के उपयोग के लिए गैर-भेदभावपूर्ण प्रावधान से है। किसी लाइसेंसधारी या उपभोक्ता या उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार उत्पादन में लगे किसी व्यक्ति द्वारा।"

21. इस प्रकार अपीलकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि 2003 के अधिनियम की धारा 42 केवल राज्य आयोगों को संदर्भित करती है जबकि धारा 2(47) में निहित ओपन एक्सेस की परिभाषा उपयुक्त आयोग को संदर्भित करती है जिसमें सीईआरसी शामिल है। इसलिए, राज्य आयोगों की शक्ति अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस लेनदेन को विनियमित करने तक विस्तारित नहीं होती है, जो शक्ति केंद्रीय आयोग को प्रदान की गई है। 2003 के अधिनियम की धारा 42 और 86(1)(ए) के संयुक्त पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य आयोगों के नियम केवल राज्य के भीतर लागू होते हैं। बिजली के अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन के मामले में, शासी विनियमन सीईआरसी (कनेक्टिविटी और 'अंतर-राज्यीय' ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए सामान्य नेटवर्क एक्सेस) विनियम, 2022⁷ है। राज्य के बाहर से राजस्थान में अंतर-राज्यीय विद्युत

के संचरण की स्थिति में, राज्य के भीतर 2016 के आरईआरसी विनियम लागू नहीं होंगे, बल्कि सीईआरसी जीएनए विनियम लागू होंगे।

22.अपीलकर्ताओं ने एनर्जी वॉचडॉग बनाम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन⁸ में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन और अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस को विनियमित करने का अधिकार केवल सीईआरसी के पास है। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले पर पूरी तरह लागू होता है, जिससे विवादित विनियमन आरईआरसी की क्षमता से परे हो जाता है। अपीलकर्ताओं ने एनर्जी वॉचडॉग (सुप्रा) में इस न्यायालय के निम्नलिखित निष्कर्षों पर भरोसा किया:

"...24. इन धाराओं से जो योजना उभर कर आती है वह यह है कि जब भी अंतरराज्यीय बिजली का उत्पादन या आपूर्ति होती है, तो इसमें केंद्र शामिल होता है, और जब भी अंतरराज्यीय बिजली का उत्पादन या आपूर्ति होती है, तो इसमें राज्य सरकार या राज्य आयोग शामिल होता है। यह धारा 79 और 86 सहित पूरे अधिनियम की सटीक योजना है। यह देखा जाएगा कि धारा 79(1) स्वयं में खंड (सी), (डी) और (ई) अंतर-राज्यीय संचरण और अंतर-राज्यीय संचालन की बात करते हैं। इसकी तुलना धारा 86 से की जानी चाहिए जो राज्य आयोग के कार्यों से संबंधित है जो खंड (ए), (बी) और (डी) में "राज्य के भीतर" और खंड (सी) में "अंतर-राज्य" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। यह मामला होने के नाते, यह स्पष्ट है कि बिजली उत्पादन और आपूर्ति से संबंधित पीपीए को या तो राज्य आयोग या केंद्रीय आयोग द्वारा शासित किया जाना होगा।

राज्य आयोग का अधिकार क्षेत्र केवल वहीं है जहां उत्पादन और आपूर्ति राज्य के भीतर होती है। दूसरी ओर, जिस क्षण उत्पादन और बिक्री एक से अधिक राज्यों में होती है, केंद्रीय आयोग अधिनियम के तहत उपयुक्त आयोग बन जाता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यदि हम अपीलकर्ता की ओर से तर्क को स्वीकार करते हैं, और हम अदानी मामले में यह मानते हैं कि उत्पादन और बिक्री के लिए कोई समग्र योजना नहीं है, जैसा कि अपीलकर्ता ने तर्क दिया है, तो यह स्पष्ट होगा कि किसी भी आयोग के पास अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जो कि बेतुकापन की ओर ले जाएगा। चूंकि बिजली का उत्पादन और बिक्री एक से अधिक राज्यों में होती है, इसलिए स्पष्ट रूप से धारा 86 लागू नहीं होती। इस मामले में, हम यह मानने के लिए बाध्य हैं कि "समग्र योजना" का अर्थ एक से अधिक राज्यों में बिजली के उत्पादन और बिक्री की योजना से अधिक कुछ नहीं है।"

23. इस प्रकार, अपीलकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि राजस्थान राज्य के बाहर होने वाले अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस लेनदेन पर शर्तें लगाकर एक्सचेंज पर क्रय शक्ति को कम करके, विनियमन 26(7) 2003 के अधिनियम और राष्ट्रीय टैरिफ नीति के उद्देश्यों के विपरीत है, और इस प्रकार आरईआरसी ने इन मनमाने विनियमों को तैयार करने में सीईआरसी के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से परे इन शर्तों को लागू करके, आरईआरसी ने अनिवार्य रूप से वास्तविक समय अनुबंधों, इंटराडे अनुबंधों और आकस्मिक अनुबंधों के तहत बिजली की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस तरह यह सुनिश्चित किया है कि

अपीलकर्ताओं जैसे औद्योगिक उपभोक्ताओं के पास वितरण लाइसेंसधारी (जयपुर विद्युत वितरण निगम) से बिजली खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्यों के विपरीत है ताकि उपभोक्ता अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस तंत्र के माध्यम से बिजली एक्सचेंज पर विभिन्न स्रोतों से गुणवत्ता और सस्ती बिजली का लाभ उठा सकें। अंतर-राज्यीय समय-निर्धारण में हस्तक्षेप करके, यह विनियमन आरईआरसी के नियामक प्राधिकरण से आगे निकल जाता है और 2003 के अधिनियम के तहत स्थापित वैधानिक ढांचे का उल्लंघन करता है।

24. सिविल अपील संख्या 7965 और 7966/2019 में राजस्थान राज्य में बिजली आपूर्ति करने वाले कैप्टिव जनरेटर द्वारा विनियमन की वैधता को चुनौती दी गई है। अपीलकर्ताओं ने 2016 के विनियमनों को इस आधार पर चुनौती दी है कि 2016 के विनियमन सीपीपी के खिलाफ भेदभावपूर्ण हैं क्योंकि वे ओपन एक्सेस का लाभ उठाने के लिए उन पर अवैध बंधन डालते हैं जो 2003 के अधिनियम की धारा 9 के तहत ऐसे बिजली जनरेटर का वैधानिक अधिकार है।

25. अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि 2016 के विनियमनों का विनियमन 21 मनमाना है और सीपीपी के विरुद्ध भेदभावपूर्ण है। 2003 के अधिनियम की धारा 9 उद्योगों के कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के अधिकार को मान्यता देती है और पारेषण और वितरण नेटवर्क तक गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच सुनिश्चित करती है। हालाँकि, विनियमन 21 कैप्टिव जनरेटर और राज्य वितरण कंपनियों⁹ के बीच अनुचित अंतर बनाता है, जो कैप्टिव बिजली उत्पादन को हतोत्साहित करता है। अपीलकर्ताओं का तर्क है कि विनियमन 21 के तहत लगाया गया मूल्य निर्धारण तंत्र राज्य डिस्कॉम को अनुचित लाभ प्रदान करते हुए कैप्टिव जनरेटर को अनुचित रूप से दंडित करता

है। विनियमन के तहत, ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा किसी भी अंडर-इंजेक्शन को उच्च दरों पर निपटाया जाता है, जबकि ओवर-इंजेक्शन को कम दरों पर मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा, विनियमन 21 यह भी प्रदान करता है कि बिजली संयंत्र द्वारा इंजेक्ट की गई कोई भी ऊर्जा लेकिन इसकी कैप्टिव इकाइयों द्वारा उपयोग नहीं की गई है, कैप्टिव इकाई/ड्रॉअर/खरीदार को बिल्कुल भी भुगतान नहीं किया जाता है। इस तरह की मूल्य निर्धारण प्रणाली कैप्टिव जनरेटर के लिए अपनी अधिशेष बिजली को ओपन एक्सेस के माध्यम से बेचने के लिए एक हतोत्साहन पैदा करती है और प्रभावी रूप से उन्हें राज्य उपयोगिताओं पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करती है। अपीलकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि विनियमन 21 के तहत कैप्टिव जनरेटर के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार 2003 के अधिनियम के इरादे के साथ असंगत है, जो बिजली उत्पादन में प्रतिस्पर्धा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। एक असमान खेल मैदान बनाकर, विनियमन औद्योगिक उपभोक्ताओं की अपनी बिजली खरीद रणनीतियों को अनुकूलित करने की क्षमता को बाधित करता है और उन्हें राज्य उपयोगिताओं पर अनुचित निर्भरता में मजबूर करता है।

26. अपीलकर्ताओं ने विनियमन 21 को इस आधार पर चुनौती दी है कि विनियमन 21 के अनुसार सीपीपी द्वारा कम इंजेक्शन के मामले में भारी जुर्माना लगाने और साथ ही छूट देने से राज्य उत्पादक और अन्य उत्पादक जो दीर्घकालिक आधार पर डिस्कॉम को बिजली की आपूर्ति करते हैं (विनियमन 5 और विनियमन 6 के आधार पर), 2016 के विनियमनों ने सीपीपी के हितों के लिए हानिकारक एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था बनाई है जो 2003 के अधिनियम की धारा 9(1) के प्रावधान की भावना के पूरी तरह से खिलाफ है।

27.अपीलकर्ताओं का तर्क है कि ये विनियम अनुसूची से सामान्य और व्यावहारिक रूप से अनियंत्रित विचलन के लिए अत्यंत कठोर प्रावधान प्रदान करके ओपन एक्सेस को हतोत्साहित करते हैं और इस प्रकार ओपन एक्सेस से आपूर्ति को अव्यवहारिक और आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बनाकर सीपीपी और ओपन एक्सेस का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं पर कृत्रिम बाधाएं पैदा कर रहे हैं, जिससे कैप्टिव जनरेटर और उपभोक्ताओं को बहुत अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और साथ ही ओपन एक्सेस वाले उपभोक्ताओं की कीमत पर डिस्कॉम को समृद्ध किया जा रहा है।

28.अपीलकर्ताओं ने आगे बताया कि राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005¹⁰ में सीपीपी की अपार संभावनाओं को समझा गया है और देश में बिजली बाजार के समग्र विकास के लिए ऐसे संयंत्रों से उत्पादन को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है। 2003 के अधिनियम और 2005 की एनईपी के प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्थापित होता है कि विधानमंडल की यह स्पष्ट मंशा है कि सीपीपी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और विकेंद्रीकृत बिजली जनरेटर के स्रोत के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इसलिए, सीपीपी को ओपन एक्सेस प्रदान करने या उनसे बिजली की आपूर्ति को विनियमित करने के मामले में अन्य जनरेटर की तुलना में नुकसानदेह स्थिति में डालने वाला कोई भी विनियमन 2003 के अधिनियम और 2005 की एनईपी के प्रावधानों का उल्लंघन है और उनके विरुद्ध है।

प्रतिवादियों के तर्क

29. आरईआरसी और वितरण लाइसेंसधारियों सहित प्रतिवादियों ने 2016 के विनियमों की

वैधता का दृढ़ता से बचाव किया है, और तर्क दिया है कि इन्हें 2003 के अधिनियम के तहत आरईआरसी के अधिकार क्षेत्र के भीतर अच्छी तरह से तैयार किया गया है और ग्रिड अनुशासन बनाए रखने, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और बिजली डिस्कॉम की वित्तीय व्यवहार्यता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, यह भी दृढ़ता से प्रस्तुत किया गया है कि ओपन एक्सेस पूरी तरह से मुक्त, बेरोकटोक, अनियंत्रित या अप्रतिबंधित नहीं हो सकती है। 2016 के विनियमों की वैधता का बचाव करने वाले सभी प्रतिवादियों के तर्क नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं।

30. 30. सबसे पहले, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बिजली का विनियमन एक जटिल

और अत्यधिक विशिष्ट क्षेत्र है, जिसके लिए तकनीकी, आर्थिक और कानूनी विचारों में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। 2003 का अधिनियम, विनियामक आयोगों को जनरेटर, उपभोक्ताओं और डिस्कॉम के हितों को संतुलित करते हुए एक कुशल, विश्वसनीय और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बिजली क्षेत्र सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपता है। बिजली, ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जिसे उसके कच्चे रूप में संग्रहीत नहीं किया जा सकता है, इसलिए ग्रिड स्थिरता बनाए रखने के लिए निरंतर वास्तविक समय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। मांग और आपूर्ति के बीच कोई भी बेमेल ग्रिड विफलता सहित गंभीर व्यवधानों को जन्म दे सकता है, जिससे व्यापक आर्थिक और सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। ऐसी आकस्मिकताओं को रोकने के लिए, आरईआरसी सहित बिजली नियामक आयोगों को बिजली क्षेत्र में प्रतिभागियों के बीच दक्षता और अनुशासन को बढ़ावा देने वाले परिचालन मानदंडों को तैयार करने और लागू करने का अधिकार है। इन मानदंडों का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है

कि बेहतर परिचालन दक्षता से प्राप्त लाभ उपभोक्ताओं को दिए जाएं और साथ ही ग्रिड स्थिरता बनाए रखें।

31. प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया कि आरईआरसी के पास ओपन एक्सेस लेनदेन के कुछ पहलुओं पर नियामक प्राधिकरण है, यहां तक कि जहां बिजली राजस्थान राज्य के बाहर से खरीदी जाती है, लेकिन राजस्थान के भीतर वितरित की जाती है। सीईआरसी का अधिकार क्षेत्र 2003 के अधिनियम की धारा 79(1) के तहत परिभाषित किया गया है, जो इसे बिजली के अंतर-राज्यीय संचरण पर नियामक शक्तियां प्रदान करता है। हालांकि, यह आरईआरसी सहित राज्य आयोगों को ओपन एक्सेस के अंतर-राज्य पहलुओं पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से नहीं रोकता है। 2003 के अधिनियम की धारा 42(2) विशेष रूप से राज्य आयोगों को राज्य के भीतर ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क तक उचित पहुंच सुनिश्चित करते हुए अंतर-राज्य ओपन एक्सेस को विनियमित करने का अधिकार देती है। जबकि अपीलकर्ता का तर्क है कि केवल सीईआरसी के पास अंतर-राज्य ओपन एक्सेस को विनियमित करने की शक्ति है इस प्रकार, जबकि सीईआरसी के पास अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन पर अधिकार क्षेत्र है, आरईआरसी ओपन एक्सेस लेनदेन के अंतर-राज्यीय पहलुओं पर विनियामक प्राधिकरण रखता है, भले ही बिजली स्रोत राज्य के बाहर स्थित हो लेकिन बिजली राज्य के भीतर अंतर-राज्यीय ग्रिड के माध्यम से वितरित की जाती है। यह 2003 के अधिनियम के ढांचे के अनुरूप है, जो राज्य नियामक प्राधिकरण को अनुचित रूप से प्रतिबंधित किए बिना केंद्रीय और राज्य नियामकों के बीच जिम्मेदारियों का स्पष्ट सीमांकन प्रदान करता है। इसके अलावा, 2003 के अधिनियम की धारा 42 राज्य आयोगों को राज्य के भीतर ओपन एक्सेस शुरू करने और विनियमित करने का स्पष्ट

अधिकार देती है। मूल अधिनियम में कहीं भी विधानमंडल ने धारा 42 के दायरे में आने वाले उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार या सीईआरसी को ओपन एक्सेस को विनियमित करने की शक्ति नहीं दी है।

32. इस प्रकार प्रतिवादियों का यह कहना है कि अपीलकर्ता का यह दावा कि केवल सीईआरसी के पास अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस को विनियमित करने की शक्ति है, भ्रामक है। जबकि सीईआरसी के पास वास्तव में 2003 के अधिनियम की धारा 79(1) के तहत अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन पर अधिकार क्षेत्र है, आरईआरसी ओपन एक्सेस लेनदेन के अंतर-राज्यीय पहलुओं पर विनियामक प्राधिकरण रखता है, भले ही शक्ति राज्य के बाहर से प्राप्त की गई हो। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि जैसा कि अपीलकर्ताओं ने सही ढंग से बताया है, 2003 के अधिनियम की धारा 2(47) ओपन-एक्सेस को ट्रांसमिशन या वितरण प्रणाली तक गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच के रूप में परिभाषित करती है; लेकिन यह विनियामक उद्देश्यों के लिए उनके बीच कोई अंतर किए बिना, अंतर-राज्यीय और अंतर-राज्यीय दोनों लेनदेन को अपने दायरे में शामिल करता है। इसलिए, यह एक स्वाभाविक परिणाम है कि राज्य आयोग अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ओपन एक्सेस को विनियमित करने की शक्ति बनाए रखेंगे, भले ही इसमें दूसरे राज्य से प्राप्त शक्तियाँ शामिल हों। इसलिए, 2003 के अधिनियम की धारा 42 के साथ धारा 2(47) को सरलता से पढ़ने से यह स्पष्ट है कि कानून स्रोत की परवाह किए बिना ओपन एक्सेस को समान रूप से मानता है और विधानमंडल का कोई अनावश्यक भेद पैदा करने का इरादा नहीं था। इसलिए, धारा 42 के अनुसार ओपन एक्सेस को विनियमित करने की शक्ति आरईआरसी के पास है, खासकर तब जब 2003 के अधिनियम की धारा 2(15) के तहत परिभाषित उपभोक्ता

वह है जो वितरण लाइसेंसधारी विशिष्ट राज्यों के भीतर काम करते हैं, इसलिए उपभोक्ताओं के लिए ओपन एक्सेस का विनियमन स्वाभाविक रूप से संबंधित राज्य आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। चूंकि ओपन एक्सेस लेनदेन अंततः राज्य लाइसेंसधारी के वितरण नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करते हैं, इसलिए उनका विनियमन आवश्यक रूप से संबंधित राज्य आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। इससे यह स्थिति मजबूत होती है कि सीईआरसी के बजाय राज्य आयोगों के पास खुले उपयोग वाले लेन-देन पर अधिकार क्षेत्र है, जहां बिजली का उपभोग राज्य के भीतर किया जाता है, चाहे उसका स्रोत कुछ भी हो।

33. 2003 के अधिनियम की धारा 181 राज्य आयोगों को 2003 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। इसमें ओपन एक्सेस को शुरू करने और विनियमित करने, लागू शुल्क निर्धारित करने और अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क तक पहुंच के लिए शर्तें स्थापित करने की शक्ति शामिल है। ओपन एक्सेस के बारे में नियम बनाने की राज्य आयोगों की क्षमता इस बात की पुष्टि करती है कि आरईआरसी अपने वैधानिक कार्यों के अभ्यास में राजस्थान के भीतर ओपन एक्सेस लेनदेन को नियंत्रित करने वाले विनियम बना सकता है। इसके अलावा, 2003 के अधिनियम की धारा 181 राज्य स्तर पर बिजली विनियमन में उनकी भूमिका निर्दिष्ट करके राज्य आयोगों के स्वतंत्र अधिकार को मजबूत करती है। यह प्रावधान बिजली शासन में विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को कायम रखता है और आरईआरसी सहित राज्य आयोगों के साथ अंतर-राज्यीय बिजली लेनदेन पर विनियामक नियंत्रण निहित करने के विधायी इरादे की पुष्टि करता है।

जबकि, 2003 के अधिनियम की धारा 181 विशेष रूप से राज्य आयोगों को अधिनियम 2003 की धारा 42 के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं की श्रेणियों के संबंध में विनियम बनाने का अधिकार प्रदान करती है, 2003 के अधिनियम की धारा 178 सीईआरसी को विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विनियम बनाने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करती है जबकि अधिनियम की धारा 42 से संबंधित शक्तियों को जानबूझकर रोकती है। इसके अलावा, 2003 के अधिनियम की धारा 79, जो सीईआरसी के कार्यों को रेखांकित करती है, उपभोक्ता श्रेणियों के विनियमन के संबंध में केंद्रीय आयोग को कोई जिम्मेदारी नहीं देती है। ऐसे किसी भी प्रावधान की अनुपस्थिति विधायिका की मंशा का स्पष्ट संकेत है कि वह वितरण लाइसेंसधारी से अंतिम उपभोक्ताओं तक बिजली की आपूर्ति को विनियमित करने में सीईआरसी की भूमिका का विस्तार नहीं करना चाहती, चाहे वह अंतर-राज्यीय संचरण या अंतर-राज्यीय संचरण के माध्यम से हो

34.प्रतिवादियों ने आगे कहा कि 2016 के विनियमनों का विनियमन 26(7), जो 24 घंटे बिजली खरीद के लिए एक दिन की अग्रिम शेड्यूलिंग आवश्यकता को अनिवार्य करता है, एक वैध विनियामक उद्देश्य पूरा करता है। यह एक उचित और आवश्यक प्रावधान है और यह केवल 'अल्पकालिक अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस' के मामले में लागू होता है। यह आवश्यकता ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करती है, उचित लोड पूर्वानुमान की सुविधा प्रदान करती है, और अंतिम समय में होने वाले उतार-चढ़ाव को रोकती है जो बिजली नेटवर्क को अस्थिर कर सकते हैं। अग्रिम शेड्यूलिंग आवश्यकता न तो मनमानी है और न ही अनुचित है, बल्कि कुशल बिजली प्रणाली प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है।

35. यह तर्क कि यह आवश्यकता तत्काल खरीद को रोकती है, गलत है। विनियमन अल्पकालिक बाजार खरीद सहित वैकल्पिक तंत्र प्रदान करते हैं, जो प्रतिभागियों को तत्काल बिजली की कमी को दूर करने की अनुमति देते हैं। उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि सीईआरसी के दिशानिर्देशों के तहत संचालित वास्तविक समय बाजार और दिन-आगे बाजार अभी भी तत्काल जरूरतों के लिए बिजली की खरीद की अनुमति देते हैं। हालांकि, शेड्यूलिंग की आवश्यकता केवल राजस्थान राज्य के भीतर ओपन एक्सेस के माध्यम से खरीद के लिए लागू है ताकि मांग की गई बिजली को सुरक्षित रूप से एकीकृत किया जा सके। इस प्रकार, ऐसी आवश्यकता यह सुनिश्चित करने के लिए एक तर्कसंगत उपाय है कि ग्रिड अचानक उतार-चढ़ाव के जोखिम के बिना एक स्थिर और विश्वसनीय तरीके से संचालित हो, और इस प्रकार यह किसी भी तरह से 2003 के अधिनियम के प्रावधानों या ओपन एक्सेस के उद्देश्यों के विरुद्ध नहीं है। यह तर्क कि शेड्यूलिंग की आवश्यकता ओपन एक्सेस के लिए एक कृत्रिम बाधा पैदा करती है, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इसका उद्देश्य एक स्थिर और नियंत्रित ओपन एक्सेस सुनिश्चित करना है, जिससे ग्रिड की विश्वसनीयता की रक्षा हो सके। यह किसी भी तरह से तत्काल खरीद तक पहुंच को बाधित नहीं करता है, जो अन्य स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध है, लेकिन केवल यह सुनिश्चित करता है कि ओपन एक्सेस उपभोक्ता ग्रिड अनुशासन का पालन करें, जो किसी भी असंतुलन को रोकने के लिए अनिवार्य है। इसलिए, एक कुशल और स्थिर ग्रिड को बनाए रखने के लिए एक संरचित शेड्यूलिंग तंत्र को लागू करना आवश्यक है।

36. प्रतिवादियों ने यह भी कहा है कि ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा अनुबंध मांग का लगातार कम उपयोग करने से वितरण लाइसेंसधारियों को वित्तीय नुकसान हो सकता है। ऐसा

इसलिए है क्योंकि उच्च मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को बनाए रखने से जुड़ी निश्चित लागतों को वास्तविक खपत के स्तर पर ध्यान दिए बिना अभी भी कवर किया जाना चाहिए। केवल उन उपभोक्ताओं को ओपन एक्सेस तक पहुंचने की अनुमति देकर जो वास्तविक मांग प्रदर्शित करते हैं, नियामक ढांचा एक अधिक न्यायसंगत और कुशल प्रणाली बनाने का प्रयास करता है। यह ओपन एक्सेस के उपभोक्ताओं के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए 2003 के अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है।

37. प्रतिवादियों का तर्क है कि 2016 के विनियमन याचिकाकर्ता के ओपन एक्सेस के अधिकार को मनमाने ढंग से समाप्त नहीं करते हैं, जो पहले 2004 के विनियमनों के तहत उपलब्ध था। 2016 के विनियमन एक विकसित ढांचा है जिसका उद्देश्य ओपन एक्सेस नीतियों को बिजली वितरण और ट्रांसमिशन की वर्तमान वास्तविकताओं के साथ संरेखित करना है। नए विनियमों में पेश किए गए संशोधन, जिसमें शेड्यूलिंग आवश्यकता, शुल्क और दंड में परिवर्तन शामिल हैं, का उद्देश्य सभी हितधारकों के लिए अक्षमताओं को दूर करना और एक समान खेल मैदान सुनिश्चित करना है। ये परिवर्तन आरईआरसी के विनियामक डोमेन के भीतर हैं और पिछले ढांचे के तहत दिए गए अधिकारों का गैरकानूनी निरसन नहीं करते हैं।

38. अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनके लेन-देन सीईआरसी जीएनए विनियमों के तहत 'सामूहिक लेन-देन' के रूप में योग्य हैं, जिससे वे आरईआरसी के विनियामक क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाते हैं। प्रतिवादियों ने इस तर्क का विरोध करते हुए कहा कि लागू विनियमों के तहत परिभाषित सामूहिक लेन-देन, केंद्रीकृत बिजली एक्सचेंजों और संरचित बाजार लेन-देन से संबंधित हैं। हालाँकि, अपीलकर्ताओं के लेन-देन में

राजस्थान के नेटवर्क के भीतर द्विपक्षीय व्यवस्था और ओपन एक्सेस का उपयोग शामिल है। इसलिए, वे स्वचालित रूप से सीईआरसी के अनन्य अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया कि अंतर-राज्यीय संचरण और वितरण से जुड़े लेन-देन के पहलुओं के संबंध में आरईआरसी का अधिकार क्षेत्र बरकरार है।

39. प्रतिवादियों ने आगे कहा कि 2016 के विनियमनों का विनियमन 21, जो कैप्टिव पावर प्लांट द्वारा बिजली के कम इंजेक्शन के लिए दंड लगाता है, ग्रिड अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया एक आवश्यक नियामक उपाय है। यह तर्क कि विनियमन 21 सीपीपी के खिलाफ भेदभावपूर्ण है, निराधार है, क्योंकि यह प्रावधान ग्रिड में बिजली इंजेक्शन के लिए जिम्मेदार सभी संस्थाओं पर समान रूप से लागू होता है। इस विनियमन के पीछे तर्क अनुसूचित उत्पादन से विचलन को रोकना है, जो ग्रिड स्थिरता को बाधित कर सकता है। लंबी अवधि के बिजली खरीद समझौतों¹¹ के तहत राज्य जनरेटर के विपरीत, कैप्टिव जनरेटर के पास अपने संचालन में अधिक लचीलापन होता है, जिससे सिस्टम की अखंडता बनाए रखने के लिए सख्त शेड्यूलिंग मानदंडों की आवश्यकता होती है। दंड लगाने का उद्देश्य किसी भी तरह के खेल या बेईमानी को हतोत्साहित करना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी प्रतिभागी ग्रिड असंतुलन की लागत वहन करें, क्योंकि ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंडर-इंजेक्शन और ओवर-ड्रॉअल को हतोत्साहित करने के लिए विचलन शुल्क आवश्यक हैं। सीपीपी द्वारा अंडर-इंजेक्शन के लिए दंड लगाना एक आवश्यक विनियामक उपाय है जिसका उद्देश्य बिजली शेड्यूलिंग में पूर्वानुमान सुनिश्चित करना और ऐसे विचलन को रोकना है जो ग्रिड स्थिरता को खतरे में डाल सकते हैं।

उत्तरदाताओं ने आगे जोर दिया कि विनियमन 21, 2003 के अधिनियम की धारा

- 9(1) के तहत कैप्टिव उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। धारा 9(1) का प्रावधान केवल कैप्टिव उपभोक्ताओं के स्व-उपयोग के लिए उत्पादन संयंत्र स्थापित करने और संचालित करने के अधिकार को मान्यता देता है। यह अधिकार पूर्ण नहीं है और यह सुनिश्चित करने के लिए विनियामक निरीक्षण के अधीन है कि सीपीपी के संचालन से ग्रिड स्थिरता बाधित न हो या बिजली आपूर्ति में असंतुलन पैदा न हो। 2016 के विनियमों के तहत लगाए गए विनियामक उपाय 2003 के अधिनियम के तहत आरईआरसी को दी गई शक्तियों के भीतर हैं, और कानून के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप हैं।
40. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि विशेषज्ञ विनियामक निकायों द्वारा बनाए गए विनियमों की वैधता की समीक्षा करते समय न्यायालयों को न्यायिक संयम बरतना चाहिए। प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि इस न्यायालय ने लगातार माना है कि विनियामक आयोगों के पास विशिष्ट ज्ञान और विशेषज्ञता है, और उनके निर्णयों में हल्के से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि वे स्पष्ट रूप से मनमाने, अनुचित या वैधानिक प्रावधानों का सीधा उल्लंघन न करें। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाम महाराष्ट्र राज्य¹², में इस न्यायालय ने माना कि विनियामक निर्णयों को तब तक सम्मान दिया जाना चाहिए जब तक कि यह प्रदर्शित न हो जाए कि वे पूरी तरह से तर्कहीन हैं, मूल कानून के विपरीत हैं, या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इसी तरह, हिंदुस्तान जिंक बनाम आरईआरसी¹³, में इस न्यायालय ने संवैधानिकता की अच्छी तरह से स्थापित धारणा की पुष्टि की जो वैधानिक प्राधिकरण के तहत बनाए गए विनियमों सहित अधीनस्थ कानून तक फैली हुई है। प्रतिवादियों ने कहा कि जब तक किसी विनियमन में विधायी क्षमता की कमी नहीं दिखती, वह

मूल क़ानून के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, विनियामक निकाय को दिए गए अधिकार से ज़्यादा नहीं है, या स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुचित है, तब तक उसे वैध माना जाना चाहिए। विनियमन को चुनौती देने वाले पक्ष पर इसकी अमान्यता साबित करने का दायित्व है, और वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता इस दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा है।

41. उत्तरदाताओं ने अंत में जोर देकर कहा कि 2016 के विनियम समग्र रूप से न्यायोचित, आवश्यक और आरईआरसी के विनियामक अधिदेश के अंतर्गत हैं। ओपन एक्सेस विनियमों का विकास एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें बिजली वितरण और ट्रांसमिशन में उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए समय-समय पर संशोधन की आवश्यकता होती है। 2016 के विनियमों का उद्देश्य ग्रिड विश्वसनीयता को बढ़ाना, आर्थिक दक्षता सुनिश्चित करना और बिजली नेटवर्क तक गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, शेड्यूलिंग जैसे विनियामक उपाय बाजार में हेरफेर को रोकने, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए आवश्यकताएं, शुल्क और दंड स्थापित किए जाते हैं। इसलिए, प्रतिवादी प्रस्तुत करते हैं कि अपीलकर्ता इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को उचित ठहराने वाले 2016 के नियमों में कोई कानूनी दुर्बलता स्थापित करने में विफल रहे हैं। प्रतिवादियों ने आगे प्रस्तुत किया कि 2016 के नियम राष्ट्रीय नीतियों और विभिन्न राज्यों में नियामक मिसाल के अनुरूप तैयार किए गए हैं। ओपन एक्सेस का उद्देश्य ग्रिड स्थिरता और वितरण लाइसेंसधारियों की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करते हुए प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता विकल्प को बढ़ावा देना है। नियमों के तहत अधिभार और शुल्क लगाना इस दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है। यह आगे तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ताओं

द्वारा 2003 के अधिनियम की व्याख्या राज्य उपयोगिताओं पर वित्तीय प्रभाव और व्यापक नीतिगत मंशा की उपेक्षा करती है।

विश्लेषण

42. हमारे समक्ष प्रस्तुत मुद्दों पर विस्तार से विचार करने से पहले, संदर्भित प्रासंगिक प्रावधान नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

42.1. विद्युत अधिनियम, 2003

"धारा 2. परिभाषाएं:- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

XXX XXX XXX

(15) "उपभोक्ता" का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जिसे लाइसेंसधारी या सरकार या इस अधिनियम या किसी अन्य समय प्रवृत्त विधि के अधीन जनता को विद्युत आपूर्ति करने के व्यवसाय में लगे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके स्वयं के उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति की जाती है और इसमें ऐसा कोई व्यक्ति भी शामिल है जिसका परिसर, विद्युत प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, लाइसेंसधारी, सरकार या, यथास्थिति, ऐसे अन्य व्यक्ति के कार्यों से तत्समय संयोजित है;

XXX XXX XXX

(17) "वितरण लाइसेंसधारी" से तात्पर्य ऐसे लाइसेंसधारी से है जो अपने आपूर्ति क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति के लिए वितरण प्रणाली का संचालन और रखरखाव करने के लिए प्राधिकृत है;

XXX XXX XXX

- (36) "अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली" में निम्नलिखित शामिल हैं;
- (i) एक राज्य के क्षेत्र से दूसरे राज्य तक मुख्य पारेषण लाइन के माध्यम से विद्युत के परिवहन के लिए कोई प्रणाली;
 - (ii) किसी मध्यवर्ती राज्य के क्षेत्र में विद्युत का संवहन तथा राज्य के भीतर विद्युत का संवहन, जो विद्युत के ऐसे अंतर-राज्यीय संप्रेषण से संबद्ध है;
 - (iii) किसी राज्य के क्षेत्र के भीतर किसी केंद्रीय ट्रांसमिशन उपयोगिता द्वारा निर्मित, स्वामित्वाधीन, प्रचालित, अनुरक्षित या नियंत्रित प्रणाली पर विद्युत का ट्रांसमिशन।

XXX XXX XXX

- (47) "ओपन एक्सेस" से तात्पर्य किसी लाइसेंसधारी या उपभोक्ता या उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार उत्पादन में लगे किसी व्यक्ति द्वारा पारेषण लाइनों या वितरण प्रणाली या ऐसी लाइनों या प्रणाली के साथ संबद्ध सुविधाओं के उपयोग के लिए गैर-भेदभावपूर्ण प्रावधान से है;

XXX XXX XXX

- धारा 9. स्व-उपयोग विद्युत उत्पादन :
- (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति कैप्टिव उत्पादन संयंत्र और समर्पित पारेषण लाइनों का निर्माण, रखरखाव या संचालन कर सकता है:

बशर्ते कि ग्रिड के माध्यम से कैप्टिव उत्पादन संयंत्र से विद्युत की आपूर्ति को उसी प्रकार विनियमित किया जाएगा जैसे किसी उत्पादन कंपनी के उत्पादन स्टेशन को विनियमित किया जाता है।

[यह भी प्रावधान है कि इस अधिनियम के तहत कैप्टिव प्लांट से उत्पादित बिजली की आपूर्ति के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार किसी अनुज्ञप्तिधारी को और धारा 42 की उपधारा 2 के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन किसी उपभोक्ता को विद्युत उत्पादन संयंत्र की आपूर्ति।]

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का निर्माण किया है तथा ऐसे संयंत्र का रखरखाव और संचालन करता है, को अपने कैप्टिव उत्पादन संयंत्र से अपने उपयोग के गंतव्य तक विद्युत ले जाने के प्रयोजनार्थ ओपन एक्सेस का अधिकार होगा:

बशर्ते कि ऐसी ओपन एक्सेस पर्याप्त पारेषण सुविधा की उपलब्धता के अधीन होगी और पारेषण सुविधा की ऐसी उपलब्धता, यथास्थिति, केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता या राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा निर्धारित की जाएगी:

आगे यह भी प्रावधान है कि ट्रांसमिशन सुविधा की उपलब्धता के संबंध में किसी भी विवाद का निर्णय उपयुक्त आयोग द्वारा किया जाएगा।

XXX

XXX

XXX

धारा 32. राज्य भार प्रेषण केन्द्रों के कार्य:-

(1) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य में विद्युत प्रणाली का एकीकृत प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष निकाय होगा।

(2) राज्य भार प्रेषण केन्द्र -

(i) किसी राज्य में लाइसेंसधारियों या उस राज्य में कार्यरत उत्पादन कंपनियों के साथ किए गए अनुबंधों के अनुसार, राज्य के भीतर विद्युत के इष्टतम निर्धारण और प्रेषण के लिए जिम्मेदार होगा;

(ii) ग्रिड परिचालन की निगरानी करना;

(iii) राज्य ग्रिड के माध्यम से प्रेषित विद्युत की मात्रा का लेखा रखना;

(iv) अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखना; और

(v) ग्रिड मानकों और राज्य ग्रिड कोड के अनुसार राज्य ग्रिड के सुरक्षित और आर्थिक संचालन के माध्यम से राज्य के भीतर ग्रिड नियंत्रण और बिजली के प्रेषण के लिए वास्तविक समय संचालन करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(3) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, विद्युत के अंतर-राज्यीय पारेषण में लगी उत्पादन कम्पनियों और लाइसेंसधारियों से ऐसी फीस और प्रभार लगा सकेगा और उनका संग्रहण कर सकेगा, जैसा कि राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

धारा 33. निर्देशों का अनुपालन:-

(1) किसी राज्य में राज्य भार प्रेषण केन्द्र ऐसे निर्देश दे सकेगा तथा ऐसा पर्यवेक्षण और नियंत्रण कर सकेगा जो एकीकृत ग्रिड प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए तथा उस राज्य में विद्युत प्रणाली के प्रचालन में अधिकतम मितव्ययिता और दक्षता प्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो।

- (2) प्रत्येक लाइसेंसधारी, उत्पादन कंपनी, उत्पादन स्टेशन, उप-स्टेशन और विद्युत प्रणाली के संचालन से जुड़ा कोई अन्य व्यक्ति उप-धारा (1) के तहत राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेगा।
- (3) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र के निर्देशों का अनुपालन करेगा।
- (4) यदि विद्युत की गुणवत्ता या राज्य ग्रिड के सुरक्षित, संरक्षित और एकीकृत संचालन के संदर्भ में या उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी निर्देश के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसे निर्णय के लिए राज्य आयोग को भेजा जाएगा:

बशर्ते कि राज्य आयोग का निर्णय लंबित रहने तक, लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा राज्य भार प्रेषण केंद्र के निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

- (5) यदि कोई लाइसेंसधारी, उत्पादन कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह पांच लाख रुपये से अधिक के जुर्माने का दायी होगा।

XXX

XXX

XXX

धारा 42. वितरण लाइसेंसधारी और ओपन एक्सेस के कर्तव्य:

- (1) वितरण लाइसेंसधारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने आपूर्ति क्षेत्र में कुशल, समन्वित और मितव्ययी वितरण प्रणाली विकसित करे और बनाए रखे तथा इस अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार विद्युत की आपूर्ति करे।

(2) राज्य आयोग ऐसे चरणों में और ऐसी शर्तों के अधीन (क्रॉस सब्सिडी और अन्य

परिचालन बाधाओं सहित) ओपन एक्सेस शुरू करेगा, जिन्हें उसके द्वारा नियत तारीख से एक वर्ष के भीतर निर्दिष्ट किया जा सकता है और उत्तरवर्ती चरणों में ओपन एक्सेस की सीमा को निर्दिष्ट करने और व्हीलिंग के लिए शुल्क निर्धारित करने में, ऐसी क्रॉस सब्सिडी और अन्य परिचालन बाधाओं सहित सभी प्रासंगिक कारकों पर उचित ध्यान दिया जाएगा:

बशर्ते कि [ऐसी ओपन एक्सेस को अधिभार के भुगतान पर अनुमति दी जाएगी] व्हीलिंग के लिए राज्य आयोग द्वारा निर्धारित प्रभारों के अतिरिक्त:

बशर्ते कि ऐसे अधिभार का उपयोग वितरण लाइसेंसधारी के आपूर्ति क्षेत्र के भीतर क्रॉस सब्सिडी के वर्तमान स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा:

बशर्ते कि ऐसे अधिभार और प्रति-सब्सिडी को राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट तरीके से उत्तरोत्तर कम किया जाएगा:

बशर्ते कि ऐसा अधिभार उस स्थिति में नहीं लगाया जाएगा जब किसी ऐसे व्यक्ति को ओपन एक्सेस प्रदान की गई हो जिसने विद्युत को अपने उपयोग के गंतव्य तक ले जाने के लिए कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित किया हो:

[यह भी प्रावधान है कि राज्य आयोग विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष के भीतर विनियमों द्वारा उन सभी उपभोक्ताओं को ऐसी ओपन एक्सेस उपलब्ध कराएगा, जिन्हें विद्युत की आपूर्ति की आवश्यकता है, जहां किसी भी समय उपलब्ध कराई जाने वाली अधिकतम विद्युत एक मेगावाट से अधिक है।]

(3) जहां कोई व्यक्ति, जिसका परिसर वितरण लाइसेंसधारी के आपूर्ति क्षेत्र में स्थित है,

(नियत तिथि से पूर्व विद्युत वितरण के व्यवसाय में लगा हुआ स्थानीय प्राधिकरण न हो) को किसी उत्पादन कंपनी या ऐसे वितरण लाइसेंसधारी के अलावा किसी अन्य लाइसेंसधारी से विद्युत की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, तो ऐसा व्यक्ति नोटिस द्वारा वितरण लाइसेंसधारी से राज्य आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार ऐसी विद्युत को चलाने की मांग कर सकता है और ऐसी आपूर्ति के संबंध में वितरण लाइसेंसधारी के कर्तव्य गैर-भेदभावपूर्ण ओपन एक्सेस प्रदान करने वाले सामान्य वाहक के होंगे।

(4) जहां राज्य आयोग किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग को उसके आपूर्ति क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करने की अनुमति देता है, वहां ऐसा उपभोक्ता, वितरण लाइसेंसधारी की आपूर्ति के दायित्व से उत्पन्न होने वाली निर्धारित लागत को पूरा करने के लिए, राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट व्हीलिंग के प्रभारों पर अतिरिक्त अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा

(5) प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी, नियत तारीख या लाइसेंस प्रदान करने की तारीख से छह माह के भीतर, जो भी पहले हो, राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच स्थापित करेगा।

(6) कोई भी उपभोक्ता, जो उप-धारा (5) के तहत अपनी शिकायतों के निवारण न होने से व्यथित है, अपनी शिकायत के निवारण के लिए लोकपाल नामक

प्राधिकारी को अभ्यावेदन दे सकता है, जिसे राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या पदनामित किया जाएगा।

(7) लोकपाल उपभोक्ता की शिकायत का निपटारा ऐसे समय के भीतर और ऐसे तरीके से करेगा जैसा कि राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(8) उपधारा (5), (6) और (7) के उपबंध उन अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे जो उपभोक्ता को उन उपधाराओं द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अतिरिक्त प्राप्त हो सकते हैं।

XXX

XXX

XXX

धारा 79. केन्द्रीय आयोग के कार्य:-

(1) केन्द्रीय आयोग निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:-

(i) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली उत्पादन कम्पनियों के टैरिफ को विनियमित करना;

(ii) खंड (क) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली उत्पादन कम्पनियों के अलावा अन्य उत्पादन कम्पनियों के टैरिफ को विनियमित करना, यदि ऐसी उत्पादन कम्पनियां एक से अधिक राज्यों में विद्युत के उत्पादन और विक्रय के लिए कोई समग्र योजना बनाती हैं या अन्यथा उनके पास कोई समग्र योजना है;

(iii) विद्युत के अंतर-राज्यीय संचरण को विनियमित करना;

(iv) विद्युत के अंतर-राज्यीय पारेषण के लिए शुल्क निर्धारित करना;

(v) व्यक्तियों को उनके अंतर-राज्यीय परिचालनों के संबंध में ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और विद्युत व्यापारी के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस जारी करना;

(vi) उपर्युक्त खंड (i) से (iv) से संबंधित मामलों के संबंध में उत्पादन कंपनियों या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी से जुड़े विवादों पर निर्णय लेना और किसी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना;

(vii) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फीस उद्धृत करना;

(viii) ग्रिड मानकों को ध्यान में रखते हुए ग्रिड कोड निर्दिष्ट करना;

(ix) लाइसेंसधारियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता के संबंध में मानकों को निर्दिष्ट और लागू करना;

(x) यदि आवश्यक समझा जाए तो विद्युत के अंतर-राज्यीय व्यापार में ट्रेडिंग मार्जिन तय करना;

(xi) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं।

(2) केन्द्रीय आयोग निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देगा, अर्थात:-

(i) राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति तैयार करना;

(ii) विद्युत उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययिता को बढ़ावा देना;

(iii) विद्युत उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना;

(iv) सरकार द्वारा केन्द्रीय आयोग को भेजा गया कोई अन्य मामला।

(3) केन्द्रीय आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कार्यों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

(4) अपने कार्यों के निर्वहन में, केन्द्रीय आयोग राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना और धारा 3 के अंतर्गत प्रकाशित टैरिफ नीति द्वारा निर्देशित होगा।

XXX

XXX

XXX

धारा 86. राज्य आयोग के कार्य:-

(1) राज्य आयोग निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:

(i) राज्य के भीतर, यथास्थिति, थोक, थोक या खुदरा विद्युत के उत्पादन, आपूर्ति, पारेषण और व्हीलिंग के लिए टैरिफ निर्धारित करना:

बशर्ते कि जहां धारा 42 के तहत उपभोक्ताओं की एक श्रेणी को ओपन एक्सेस की अनुमति दी गई है, राज्य आयोग उक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए केवल व्हीलिंग प्रभार और उस पर अधिभार, यदि कोई हो, निर्धारित करेगा;

(ii) वितरण लाइसेंसधारियों की विद्युत क्रय और प्राप्ति प्रक्रिया को विनियमित करना, जिसके अंतर्गत वह मूल्य भी शामिल है जिस पर राज्य के भीतर वितरण और आपूर्ति के लिए विद्युत क्रय हेतु समझौतों के माध्यम से उत्पादन कंपनियों या लाइसेंसधारियों से या अन्य स्रोतों से विद्युत क्रय की जाएगी;

(iii) राज्य के भीतर विद्युत पारेषण और व्हीलिंग को सुगम बनाना;

- (iv) राज्य के भीतर अपने परिचालन के संबंध में पारेषण लाइसेंसधारियों, वितरण लाइसेंसधारियों और विद्युत व्यापारियों के रूप में कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करना;
 - (v) ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी और किसी व्यक्ति को बिजली की बिक्री के लिए उपयुक्त उपाय प्रदान करके ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से बिजली के सह-उत्पादन और उत्पादन को बढ़ावा देना, और ऐसे स्रोतों से बिजली की खरीद के लिए वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत का एक प्रतिशत भी निर्दिष्ट करना;
 - (vi) लाइसेंसधारियों और उत्पादन कम्पनियों के बीच विवादों पर निर्णय करना तथा किसी विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजना;
 - (vii) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शुल्क उद्घूहीत करना;
 - (viii) धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (viii) के अधीन विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड के अनुरूप राज्य ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट करना;
 - (ix) लाइसेंसधारियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता के संबंध में मानकों को निर्दिष्ट या लागू करना;
 - (x) यदि आवश्यक समझा जाए तो विद्युत के अंतर-राज्यीय व्यापार में ट्रेडिंग मार्जिन तय करना; और
 - (xi) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे जाएं।
- (2) राज्य आयोग राज्य सरकार को निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय पर सलाह देगा, अर्थात:-.

- i. विद्युत उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययिता को बढ़ावा देना;
 - ii. विद्युत उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना;
 - iii. राज्य में विद्युत उद्योग का पुनर्गठन एवं पुनर्संरचना;
 - iv. विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण और व्यापार से संबंधित मामले या सरकार द्वारा राज्य आयोग को संदर्भित कोई अन्य मामला।
- (3) राज्य आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कार्यों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।
- (4) अपने कार्यों के निर्वहन में राज्य आयोग राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना तथा धारा 3 के अधीन प्रकाशित टैरिफ नीति द्वारा मार्गदर्शित होगा।

XXX

XXX

XXX

धारा 178. केन्द्रीय आयोग की विनियम बनाने की शक्तियाँ:-

- (1) केन्द्रीय आयोग, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम और नियमों से संगत विनियम बना सकेगा।
- (2) विशिष्टतया तथा उपधारा (1) में निहित शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-
 - (i) धारा 14 के प्रथम परन्तुक के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि;
 - (ii) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन का प्ररूप और रीति;
 - (iii) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन नोटिस की रीति और विशिष्टियां;

- (iv) धारा 16 के अधीन लाइसेंस की शर्तें;
- (v) धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन नोटिस की रीति और विशिष्टियां;
- (vi) धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन लाइसेंस में किए जाने वाले परिवर्तनों या संशोधनों का प्रकाशन;
- (vii) धारा 28 की उपधारा (2) के अंतर्गत ग्रीड कोड;
- (viii) धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन उत्पादन कम्पनियों या पारेषण उपयोगिताओं या लाइसेंसधारियों से फीस और प्रभार का उद्ग्रहण और संग्रहण;
- (ix) धारा 36 के परन्तुक के अधीन मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं के संबंध में दरें, प्रभार तथा निबंधन और शर्तें;
- (x) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (घ) के उपखंड (ii) के अधीन पारेषण प्रभार और अधिभार का भुगतान;
- (xi) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (घ) के उपखंड (ii) के दूसरे परंतुक के अधीन अधिभार और प्रति सब्सिडी में कटौती;
- (xii) धारा 40 के खंड (ग) के उपखंड (ii) के अधीन पारेषण प्रभार और अधिभार का भुगतान;
- (xiii) धारा 40 के खंड (ग) के उपखंड (ii) के दूसरे परंतुक के अधीन अधिभार और प्रति सब्सिडी में कटौती;

- (xiv) धारा 41 के परन्तुक के अधीन पारेषण और व्हीलिंग प्रभारों को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य कारोबार से प्राप्त राजस्व का अनुपात;
- (xv) धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन विद्युत व्यापारी के कर्तव्य;
- (xvi) धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारियों के वर्ग के कार्यनिष्पादन के मानक;
- (xvii) वह अवधि जिसके भीतर लाइसेंसधारी द्वारा धारा 59 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्रस्तुत की जाएगी;
- (xviii) धारा 61 के खंड (छ) के अधीन क्रॉस सब्सिडी में कटौती की रीति;]
- (xix) धारा 61 के अधीन टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें;
- (xx) धारा 62 की उपधारा (2) के अधीन लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले ब्यौरे;
- (xxi) धारा 62 की उपधारा (5) के अधीन टैरिफ और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व की गणना करने की प्रक्रिया;
- (xxii) धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय आयोग के समक्ष आवेदन करने की रीति और उसके लिए देय शुल्क;
- (xxiii) धारा 64 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन के प्रकाशन की रीति;
- (xxiv) धारा 64 की उपधारा (3) के अधीन संशोधनों या शर्तों के साथ टैरिफ आदेश जारी करना;
- (xxv) धारा 66 के अधीन विनिर्दिष्ट व्यापार सहित बाजार का विकास करने का तरीका;

(xxvi) धारा 91 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय आयोग के सचिव की शक्तियां

और कर्तव्य;

(xxvii) धारा 91 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय आयोग के सचिव,

अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और निबंधन;

(xxviii) धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया

के नियम;

(xxix) धारा 128 की उपधारा (8) के अधीन लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा

रखी जाने वाली न्यूनतम जानकारी तथा ऐसी जानकारी रखने का तरीका;

(xxx) धारा 130 के अधीन नोटिस की तामील और प्रकाशन की रीति;

(xxxi) कोई अन्य विषय जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है या किया जा

सकता है।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय आयोग द्वारा बनाए गए सभी विनियम पूर्व

प्रकाशन की शर्तों के अधीन होंगे।

XXX

XXX

XXX

धारा 181. राज्य आयोगों की विनियम बनाने की शक्तियां:-

(1) राज्य आयोग, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित

करने के लिए इस अधिनियम और नियमों से संगत विनियम बना सकेंगे।

(2) विशिष्टता तथा उपधारा (1) में निहित शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव

डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध

कर सकेंगे, अर्थात्:-

- (i) धारा 14 के प्रथम परंतुक के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि;
- (ii) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन का प्ररूप और रीति;
- (iii) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित की जाने वाली अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की रीति और विशिष्टियां;
- (iv) लाइसेंस धारा 16 की शर्तें;
- (v) धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन नोटिस की रीति और विवरण;
- (vi) धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन अनुज्ञप्ति में किए जाने वाले परिवर्तनों या संशोधनों का प्रकाशन;
- (vii) धारा 32 की उपधारा (3) के अधीन उत्पादन कम्पनियों या लाइसेंसधारियों से फीस और प्रभारों का उद्ग्रहण और संग्रहण;
- (viii) धारा 36 के परन्तुक के अधीन मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं के संबंध में दरें, प्रभार तथा निबंधन एवं शर्तें;
- (ix) धारा 39 की उपधारा (2) के खंड (घ) के उपखंड (ii) के अधीन पारेषण प्रभार और अधिभार का भुगतान;
- (x) धारा 39 की उपधारा (2) के खंड (घ) के उपखंड (ii) के दूसरे परंतुक के अधीन अधिभार और प्रति सब्सिडी में कटौती;
- (xi) धारा 39 की उपधारा (2) के खंड (घ) के उपखंड (ii) के चौथे परंतुक के अधीन भुगतान और अधिभार का तरीका और उपयोग;
- (xii) धारा 40 के खंड (ग) के उपखंड (ii) के अधीन पारेषण प्रभार और अधिभार का भुगतान;

- (xiii) धारा 40 के खंड (सी) के उप-खंड (ii) के दूसरे परंतुक के अंतर्गत अधिभार और क्रॉस सब्सिडी में कमी;
- (xiv) (ढ) धारा 40 के खंड (ग) के उपखंड (ii) के चौथे परंतुक के अधीन अधिभार के संदाय की रीति;
- (xv) धारा 41 के प्रावधान के अंतर्गत ट्रांसमिशन और व्हीलिंग प्रभारों को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य कारोबार से प्राप्त राजस्व का अनुपात;
- (xvi) धारा 42 की उपधारा (2) के तीसरे परंतुक के अधीन अधिभार और प्रति-सहायता में कटौती;
- (xvii) धारा 42 की उपधारा (4) के अधीन व्हीलिंग के प्रभारों पर अतिरिक्त प्रभारों का भुगतान;
- (xviii) धारा 42 की उपधारा (5) के अधीन दिशानिर्देश;
- (xix) धारा 42 की उपधारा (7) के अधीन शिकायतों के निपटान का समय और ढंग;
- (xx) धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि;
- (xxi) धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन विद्युत के लिए प्रभार निर्धारित करने की पद्धतियां और सिद्धांत;
- (xxii) धारा 47 की उपधारा (1) के अधीन वितरण लाइसेंसधारी को देय उचित प्रतिभूति;
- (xxiii) धारा 47 की उपधारा (4) के अधीन प्रतिभूति पर ब्याज का भुगतान;

- (xxiv) धारा 50 के अंतर्गत विद्युत आपूर्ति संहिता;
- (xxv) धारा 51 के प्रावधान के अंतर्गत व्हीलिंग प्रभारों को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य कारोबार से प्राप्त राजस्व का अनुपात;
- (xxvi) धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन विद्युत व्यापारी के कर्तव्य;
- (xxvii) धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन किसी लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारियों के वर्ग के कार्यनिष्पादन के मानक;
- (xxviii) वह अवधि जिसके भीतर लाइसेंसधारी द्वारा धारा 59 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्रस्तुत की जाएगी;
- (xxix) धारा 61 के खंड (छ) के अधीन प्रति-सहायता में कटौती की रीति;]
- (xxx) धारा 61 के अधीन टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तें;
- (xxxi) धारा 62 की उपधारा (2) के अधीन लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले ब्यौरे;
- (xxxii) धारा 62 की उपधारा (5) के अधीन टैरिफ और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व की गणना के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएं;
- (xxxiii) धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन राज्य आयोग के समक्ष आवेदन करने की रीति और उसके लिए देय फीस;
- (xxxiv) धारा 64 की उपधारा (3) के अधीन संशोधनों या शर्तों के साथ टैरिफ आदेश जारी करना;
- (xxxv) धारा 66 के अधीन विनिर्दिष्ट व्यापार सहित बाजार का विकास करने का तरीका;

- (xxvi) धारा 91 की उपधारा (1) के अधीन राज्य आयोग के सचिव की शक्तियां और कर्तव्य;
- (xxvii) धारा 91 की उपधारा (2) के अधीन राज्य आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें;
- (xxviii) धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया के नियम;
- (xxix) धारा 128 की उपधारा (8) के अधीन लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा रखी जाने वाली न्यूनतम जानकारी तथा ऐसी जानकारी रखने का तरीका;
- (xl) धारा 130 के अधीन सूचना की तामील और प्रकाशन की रीति;
- (xli) धारा 127 की उपधारा (1) के अधीन अपील करने का प्ररूप और वह रीति जिससे ऐसे प्ररूप को सत्यापित किया जाएगा तथा अपील करने के लिए फीस;
- (xlii) कोई अन्य विषय जो विनिर्दिष्ट किया जाना है या किया जा सकता है।
- (xliii) इस अधिनियम के अधीन राज्य आयोग द्वारा बनाए गए सभी विनियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे।"

42.2 राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (ओपन एक्सेस हेतु नियम एवं शर्तें)

विनियम, 2016:

XXX

XXX

XXX

आर.5. मौजूदा वितरण लाइसेंसधारियों के लिए विशेष प्रावधान: आरईआरसी (ओपन

एक्सेस के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2004 के लागू होने की तारीख को

मौजूदा समझौते या व्यवस्था के तहत अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली और राज्य में वितरण प्रणाली का उपयोग करने वाले वितरण लाइसेंसधारी, आयोग द्वारा निर्धारित किए गए ट्रांसमिशन शुल्क और व्हीलिंग शुल्क के भुगतान पर मौजूदा समझौते या व्यवस्था की अवधि के लिए समान नियमों और शर्तों पर ऐसे ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली तक ओपन एक्सेस का लाभ उठाने के हकदार होंगे।

आर.6. विद्यमान उपभोक्ताओं और उत्पादन कम्पनियों के लिए प्रावधान: सरकारी नीति के तहत या आरईआरसी (ओपन एक्सेस के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2004 के लागू होने की तिथि को किए गए समझौतों के तहत ओपन एक्सेस का लाभ उठाने वाले लाइसेंसधारियों के अलावा मौजूदा उपभोक्ता या मौजूदा उत्पादन कंपनी इन विनियमों के तहत निर्धारित नियमों और शर्तों पर ओपन एक्सेस का लाभ उठाना जारी रख सकती है, जिस सीमा तक वे राज्य सरकार द्वारा आयोग को दिए गए किसी नीति निर्देश के अंतर्गत नहीं आते हैं।

XXX

XXX

XXX

आर.21. अनिर्धारित इंटरचेंज मूल्य निर्धारण;

राज्य के भीतर और अंतर-राज्यीय लेनदेन में अनुसूची और वास्तविक निकासी/इंजेक्शन के बीच बेमेल के लिए भुगतान निपटान राज्य लाइसेंसधारियों के पारेषण/वितरण नेटवर्क का संचालन नीचे निर्दिष्ट मूल्य निर्धारण तंत्र द्वारा किया जाएगा:

- (i) किसी ओपन एक्सेस ग्राहक द्वारा एसएलडीसी द्वारा अनुमोदित अनुसूची के संबंध में किसी भी अंडर-इंजेक्शन का निपटान समय-समय पर संशोधित

सीईआरसी विचलन निपटान तंत्र विनियम 2014 में अधिसूचित लागू विचलन दरों में से उच्चतर पर किया जाएगा या आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित एचटी (एनडीएस) श्रेणी के लिए लागू अस्थायी टैरिफ की दर पर ऊर्जा प्रभार लगाया जाएगा;

- (ii) किसी ओपन एक्सेस ग्राहक द्वारा एसएलडीसी द्वारा अनुमोदित शेड्यूल के संबंध में 15 मिनट के समय ब्लॉक में 5% तक का कोई ओवर-इंजेक्शन और एक दिन में 1% तक का औसत, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर विचलन प्रभार दर या लागू विचलन प्रभार दर (जैसा कि समय-समय पर संशोधित सीईआरसी विचलन निपटान तंत्र विनियम 2014 में अधिसूचित किया गया है) जो भी कम हो, के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा;
- (iii) किसी मुक्त पहुंच उपभोक्ता द्वारा एस.एल.डी.सी. द्वारा अनुमोदित अनुसूची के संबंध में किसी भी कम निकासी की भरपाई नहीं की जाएगी और इस कम निकासी को उपभोक्ता के कारण माना जाएगा;
- (iv) किसी ओपन एक्सेस ग्राहक, जो उसके आपूर्ति क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारी का उपभोक्ता नहीं है, द्वारा एसएलडीसी द्वारा अनुमोदित अनुसूची के संबंध में किसी भी अधिक निकासी का निपटान लागू विचलन दरों (समय-समय पर संशोधित सीईआरसी विचलन निपटान तंत्र विनियम 2014 में अधिसूचित) या आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित एचटी (एनडीएस) श्रेणी के लिए लागू अस्थायी टैरिफ की दर पर ऊर्जा प्रभार में से उच्चतर पर किया जाएगा;
- (v) किसी ओपन एक्सेस ग्राहक, जो अपने आपूर्ति क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारी का उपभोक्ता भी है, द्वारा एसएलडीसी द्वारा अनुमोदित अनुसूची के संबंध में की

गई किसी भी अधिक निकासी को डिस्कॉम से निकासी माना जाएगा और ओपन एक्सेस उपभोक्ता को पूरे महीने के लिए विनियम 26 में निर्दिष्ट तरीके से गणना की गई अतिरिक्त क्षमता के लिए शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा, जो कि लागू टैरिफ आदेशों में निर्दिष्ट दरों पर महीने के दौरान वास्तव में अतिरिक्त मांग का प्रतिशत निर्धारित और ऊर्जा शुल्क के समान होगा। हालांकि, एक महीने के दौरान 15 मिनट के दो समय ब्लॉकों की सीमा तक होने वाले क्षमता आवंटन के 5% तक उपयोग की गई अतिरिक्त क्षमता को छूट दी जाएगी।

XXX

XXX

XXX

आर.26. अनुपालन और ग्रिड अनुशासन

- (1) ओपन एक्सेस उपभोक्ता भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता, राज्य ग्रिड संहिता तथा राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी और राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा समय-समय पर दिए गए अनुदेशों का पालन करेगा।
- (2) ओपन एक्सेस ग्राहक को समय-समय पर संशोधित सीईए (ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2007 की आवश्यकताओं का भी अनुपालन करना होगा।

(3) ओपन एक्सेस उपभोक्ता मुक्त पहुंच और वितरण लाइसेंसधारी सहित सभी स्रोतों से अपनी कुल निकासी की राशि को वितरण लाइसेंसधारी के साथ कुल स्वीकृत संविदा मांग तक सीमित रखेगा।

बशर्ते कि ऐसे उपभोक्ता को अनुबंध मांग के अतिरिक्त ओपन एक्सेस की अनुमति दी जा सकती है जो कैप्टिव उत्पादन और डिस्कॉम दोनों से कैप्टिव विद्युत आपूर्ति की सीमा तक विद्युत प्राप्त करता है, बशर्ते कि पारेषण और/या वितरण प्रणाली की उपलब्धता हो।

आगे यह भी प्रावधान है कि स्वीकृत ओपन एक्सेस क्षमता की सीमा तक अनुबंध मांग के अतिरिक्त दीर्घकालिक ओपन एक्सेस की अनुमति दी जा सकती है।

(4) उपभोक्ता से समय-समय पर लागू टैरिफ के अनुसार एबीटी मीटर में दर्ज अधिकतम मांग के आधार पर निश्चित शुल्क लिया जाएगा।

बशर्ते कि यदि उप-विनियम (3) के प्रावधान के अनुसार अनुबंध मांग से अधिक ओपन एक्सेस की अनुमति दी जाती है, तो निर्धारित प्रभार एबीटी मीटर में दर्ज कुल मांग के आधार पर उप-विनियम (3) के प्रावधान के अनुसार निर्धारित ओपन एक्सेस मांग को घटाकर लगाया जाएगा।

(5) दीर्घ अवधि/मध्यम अवधि ओपन एक्सेस ग्राहक एसएलडीसी, आरडीपीपीसी, आपूर्तिकर्ता अंत वितरण लाइसेंसी और उपभोक्ता अंत वितरण लाइसेंसी को शेड्यूलिंग के दिन से पहले दिन के 10.00 बजे से पहले जनरेटर छोर पर इंजेक्शन शेड्यूल और आपूर्ति छोर पर निकासी शेड्यूल प्रदान करेगा। इंजेक्शन शेड्यूल में ओपन एक्सेस उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ता की पहचान होगी। जहां एक

से अधिक ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को ओपन एक्सेस प्रदान किया जाता है, वहां आपूर्तिकर्ता प्रत्येक ओपन एक्सेस उपभोक्ता के लिए लागू इंजेक्शन शेड्यूल का विवरण प्रदान करेगा, यह देखते हुए कि ऐसे मामले में ऊर्जा का समायोजन विनियमन 25 के अनुसार होगा।

(6) अल्पावधि ओपन एक्सेस वाले ग्राहक को स्वीकृत ओपन एक्सेस क्षमता के अनुसार निकासी/इंजेक्शन के दिन से पहले वाले दिन सुबह 10:00 बजे से पहले एसएलडीसी, आरडीपीपीसी और वितरण लाइसेंसधारी को हर दिन अंतर-राज्यीय लेनदेन के लिए इंजेक्शन/निकासी अनुसूची उपलब्ध करानी होगी।

(7) विद्युत एक्सचेंज के माध्यम से लेन-देन सहित अल्पावधि अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस के तहत विद्युत खरीद निम्नलिखित के अधीन होगी:

(i) उपभोक्ता को दिन के पूरे 24 घंटे के लिए ओपन एक्सेस से बिजली की उपलब्धता निर्धारित करनी होगी।

(ii) उपभोक्ता को अंतरराज्यीय ओपन एक्सेस से निर्धारित की जाने वाली ब्लॉकवार अधिकतम विद्युत की जानकारी एसएलडीसी, आरडीपीपीसी और वितरण लाइसेंसधारी को आहरण के दिन से पहले वाले दिन प्रातः 10:00 बजे से पहले लिखित रूप में देनी होगी।

(iii) इस प्रकार दी गई अनुसूची कम से कम आठ घंटे की अवधि के लिए एक समान होगी और दिन के दौरान न्यूनतम अनुसूची किसी भी समय दिन की अधिकतम अनुसूची के 75% से कम नहीं होगी।

(iv) इस प्रकार दी गई अनुसूची का उपयोग डिस्कॉम से ब्लॉकवार अधिकतम स्वीकार्य निकासी की गणना करने के लिए किया जाएगा।

(v) यदि अन्तर्राज्यीय लेन-देन में अनुमोदित वास्तविक अनुसूची कम है, तो स्वीकार्य निकासी उस सीमा तक कम कर दी जाएगी।

(8) यदि किसी ब्लॉक में वास्तविक निकासी स्वीकार्य निकासी से अधिक है, तो प्रतिशत अतिरिक्त निकासी की गणना स्वीकार्य निकासी पर की जाएगी और एक महीने के दौरान सभी ब्लॉकों के ऐसे अतिरिक्त निकासी का उच्चतम प्रतिशत उस महीने के दौरान उपयोग की गई अतिरिक्त क्षमता (मांग) के रूप में माना जाएगा और विनियमन 21 (वी) के अनुसार बिल किया जाएगा।

(9) वार्षिक रखरखाव आउटेज, अन्य रखरखाव आउटेज और जबरन आउटेज राज्य ग्रिड कोड के प्रावधानों के अधीन होंगे। जबरन आउटेज की सूचना एसएलडीसी और वितरण लाइसेंसधारियों को आउटेज के 30 मिनट के भीतर भेजी जाएगी और इसमें अनुमानित आउटेज/सुधार समय शामिल किया जाएगा। आउटेज के तहत इकाई की बहाली के बारे में राज्य ग्रिड के साथ इसके समन्वय से कम से कम 30 मिनट पहले एसएलडीसी को सूचित किया जाएगा।

(10) जहां भी आवश्यक हो, एमवीए/केवीए से मेगावाट/किलोवाट या इसके विपरीत इकाई रूपांतरण के प्रयोजन के लिए एकता शक्ति गुणांक पर विचार किया जाएगा।"

43. पक्षों द्वारा किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतीकरणों पर विवेकपूर्ण और सावधानीपूर्वक विचार करने तथा 2003 के अधिनियम और 2016 के विनियमों के तहत वैधानिक प्रावधानों के अवलोकन के बाद, हमारा विचार है कि अपीलकर्ताओं, दोनों अंतर-राज्यीय और साथ ही अंतर-राज्यीय कैप्टिव जनरेटरों द्वारा उठाए गए विवादों से 2003 के

अधिनियम के उद्देश्यों के मद्देनजर सहमत नहीं हुआ जा सकता है, जिसे 2016 के विनियमनों द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

1. क्या आरईआरसी को 2003 के अधिनियम के तहत अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस को विनियमित करने का अधिकार था?

44. अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस को विनियमित करने के लिए आरईआरसी के अधिकार क्षेत्र के बारे में अपीलकर्ताओं का प्राथमिक तर्क बिना किसी योग्यता के है। 2003 का अधिनियम सीईआरसी और राज्य आयोगों के विनियामक कार्य के अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस को विनियमित करने के लिए आरईआरसी के अधिकार क्षेत्र के बारे में स्पष्ट अंतर स्थापित करता है। जबकि अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन धारा 79(1)(सी) के तहत सीईआरसी के अधिकार क्षेत्र में आता है, धारा 86(1)(सी) के तहत अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन और वितरण को विनियमित करने की राज्य आयोग की शक्ति अच्छी तरह से स्थापित है। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं का तर्क कि 2016 के विनियमन का एक अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रभाव है, गलत है। 2016 के विनियमन अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन को विनियमित करने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करते हैं कि राजस्थान ग्रिड को प्रभावित करने वाले लेनदेन राज्य आयोग की निगरानी में रहें।

45. 2003 के अधिनियम की धारा 79(1)(सी) विद्युत के अंतर-राज्यीय संचरण पर सीईआरसी के विनियामक प्राधिकरण को परिभाषित करती है। हालांकि, यह प्रावधान आरईआरसी सहित राज्य आयोगों को ओपन एक्सेस के अंतर-राज्यीय पहलुओं पर उनके अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं करता है। 2003 के अधिनियम की धारा 42(2)

- राज्य आयोगों को अपने-अपने राज्यों में ओपन एक्सेस को विनियमित करने का स्पष्ट अधिकार देती है, जिससे राज्य के भीतर संचरण और वितरण नेटवर्क तक निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, 2003 के अधिनियम की धारा 42(3) में प्रावधान है कि जब भी कोई उपभोक्ता, जिसका परिसर वितरण लाइसेंसधारी के आपूर्ति क्षेत्र के भीतर है, ऐसे वितरण लाइसेंसधारी के अलावा किसी अन्य उत्पादक कंपनी से विद्युत आपूर्ति की मांग करता है, तो ऐसा संचरण और आपूर्ति राज्य आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार होगी।
46. प्रतिवादियों ने अपने निवेदनों में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विनियमन के साथ एक सुसंगत और उचित समानता स्थापित की है, जो राज्य की सीमाओं के पार भी चलते हैं। आरईआरसी द्वारा यह सही रूप से सादृश्य बनाया गया है कि भले ही राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 23 के अंतर्गत आते हैं और एक केंद्रीय विषय हैं, फिर भी जब यह संबंधित राज्यों से होकर गुजरता है तो यह सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 59 के अनुसार संबंधित राज्य कानूनों के तहत टोल के अधीन होता है। इसलिए, जब 'बिजली' जो कि सूची III की प्रविष्टि 38 का विषय है, राज्य के बाहर से लाई जाती है और राज्य के भीतर वितरित की जाती है, तो राज्य के भीतर ऐसे वितरण को नियंत्रित करने वाले विनियमनों को किसी भी तरह से अधिकार क्षेत्र के किसी भी अतिरेक से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है।
47. मुख्य निर्धारक बिजली का स्रोत नहीं बल्कि इसकी डिलीवरी, अंतिम उपयोगकर्ता और राजस्थान के अंतर-राज्यीय ग्रिड के भीतर खपत है। 2003 का अधिनियम सीईआरसी और राज्य आयोगों के बीच जिम्मेदारियों को सीमांकित करने के लिए एक रूपरेखा

- प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि राजस्थान के अंतर-राज्यीय पहलुओं को ध्यान में रखा जाए। बिजली विनियमन राज्य आयोगों के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। अपीलकर्ताओं की व्याख्या धारा 42 को निरर्थक बना देगी और राज्य आयोगों को विनियामक प्राधिकरण के विकेंद्रीकरण के पीछे विधायी मंशा का खंडन करेगी। इस प्रकार, यह दावा कि केवल सीईआरसी के पास अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस को विनियमित करने का अधिकार है, 2003 के अधिनियम के पीछे विधायी मंशा के प्रकाश में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, आरईआरसी अंतर-राज्यीय लेनदेन पर अधिकार क्षेत्र बनाए रखता है, भले ही बिजली दूसरे राज्य से आती हो।
48. इसके अलावा, 2003 के अधिनियम की धारा 2(47) ओपन एक्सेस को पारेषण और वितरण प्रणालियों तक गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें अंतर-राज्यीय और अंतर-राज्यीय दोनों तरह के लेनदेन शामिल हैं। प्रतिवादियों का तर्क है कि विनियामक उद्देश्यों के लिए कानून उनके बीच अंतर नहीं करता है, जिसका अर्थ है कि राज्य आयोग स्वाभाविक रूप से अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ओपन एक्सेस पर अधिकार बनाए रखते हैं। यह व्याख्या धारा 42 के साथ संरेखित होती है, जो स्पष्ट रूप से राज्य आयोगों को अपने राज्यों में उपभोक्ताओं के लिए ओपन एक्सेस को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, 2003 के अधिनियम की धारा 2(15) "उपभोक्ता" को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो लाइसेंसधारी से बिजली प्राप्त करता है या जिसका परिसर वितरण प्रणाली से जुड़ा हुआ है। चूंकि वितरण लाइसेंसधारी राज्य की सीमाओं के भीतर काम करते हैं, इसलिए उपभोक्ताओं के लिए ओपन एक्सेस का विनियमन पूरी तरह से राज्य आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। धारा 2(17) "वितरण लाइसेंसधारी" को एक

विशिष्ट क्षेत्र के भीतर बिजली वितरित करने के लिए अधिकृत इकाई के रूप में परिभाषित करके इस स्थिति को और मजबूत करती है, जो अंततः राज्य के भीतर उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने वाले लेनदेन को विनियमित करने में राज्य आयोगों की भूमिका को मजबूत करती है।

49. 2003 के अधिनियम की धारा 181 राज्य आयोगों को 2003 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक विनियम बनाने का अधिकार देती है। इसमें ओपन एक्सेस के लिए शर्तें स्थापित करना, शुल्क निर्धारित करना और अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क तक उचित पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। राज्य आयोगों को ओपन एक्सेस शुरू करने और विनियमित करने का अधिकार देकर, विधायिका ने स्पष्ट रूप से राजस्थान में आरईआरसी को विनियामक निरीक्षण सौंप दिया है। अधिनियम की धारा 42 में ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर सीईआरसी के अधिकार क्षेत्र के किसी भी संदर्भ का न होना प्रतिवादियों के तर्क को और पुष्ट करता है। धारा 79, जो सीईआरसी के कार्यों को रेखांकित करती है, उसके अधिकार को अंतिम उपभोक्ताओं के विनियमन या वितरण लाइसेंसधारियों के माध्यम से बिजली की आपूर्ति तक नहीं बढ़ाती है। यह चूक विधायिका के ऐसे नियमों को बनाए रखने के इरादे का संकेत है। राज्य आयोगों की निगरानी के अंतर्गत आने वाले मामलों को सुनिश्चित करना, ताकि राज्य के भीतर बिजली उपभोक्ता और वितरण नेटवर्क राज्य-स्तरीय विनियमन के अधीन रहें।

50. इस प्रकार, प्रतिवादियों का तर्क वैधानिक प्रावधानों, विधायी मंशा और 2003 के अधिनियम के संरचनात्मक ढांचे में अच्छी तरह से स्थापित है। ओपन एक्सेस लेनदेन के अंतर-राज्य पहलुओं को विनियमित करने के लिए आरईआरसी का

अधिकार, भले ही बिजली दूसरे राज्य से प्राप्त हो, अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप है और प्रभावी नियामक निरीक्षण सुनिश्चित करता है।

II. क्या अनुबंधित मांग से निकासी में भिन्नता के लिए जुर्माना लगाना, 2003 के अधिनियम की धारा 42 के तहत ओपन एक्सेस के अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध है?

51. अनुबंधित मांग से निकासी में भिन्नता के लिए दंड लगाना एक विनियामक उपाय है जिसे ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने और बिजली बाजार में वाणिज्यिक खेल को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रतिवादियों का तर्क है कि इस तरह के दंड न तो मनमाने हैं और न ही अनुचित हैं, बल्कि ग्रिड की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए एक आवश्यक तंत्र हैं। 2003 का अधिनियम उपभोक्ताओं को गैर-भेदभावपूर्ण ओपन एक्सेसकी गारंटी देता है, लेकिन उन्हें बिजली नेटवर्क के प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक विनियामक शर्तों का पालन करने से छूट नहीं देता है। बिजली की आपूर्ति और मांग को संतुलित करने के लिए निकासी भिन्नताओं का विनियमन महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से ग्रिड की तकनीकी बाधाओं और अनिर्धारित उतार-चढ़ाव को रोकने की आवश्यकता के संदर्भ में जो सिस्टम को बाधित कर सकते हैं।

52. इसके अलावा, दंड व्यवस्था कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का एक उपाय है कि उपभोक्ता अपने संविदात्मक दायित्वों का पालन करें, जिससे सिस्टम और अन्य हितधारकों पर अनुचित बोझ न पड़े। अनियंत्रित भिन्नताएं विचलन को जन्म दे सकती हैं जो आवृत्ति असंतुलन का कारण बन सकती हैं, जिससे समग्र ग्रिड सुरक्षा प्रभावित होती है। 2003 के अधिनियम की धारा 32 और धारा 33

- एसएलडीसी को बिजली प्रणाली के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाती है, जिसमें अनियमित विचलन के खिलाफ आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू करना शामिल है। इसलिए, दंड अनियमित उपभोग पैटर्न को रोककर और ग्रिड अनुशासन के साथ ओपन एक्सेस को संरेखित करके बड़े सार्वजनिक हित में काम करते हैं।
53. इसके अतिरिक्त, विनियमन सभी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर समान रूप से लागू होते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई मनमाना लक्ष्यीकरण या भेदभाव न हो। ओपन एक्सेस का सिद्धांत निरपेक्ष नहीं है और इसका प्रयोग इस तरह से किया जाना चाहिए कि इससे बिजली क्षेत्र की परिचालन अखंडता से समझौता न हो। इसलिए, निकासी में भिन्नता के लिए दंड लगाना एक उचित विनियामक उपाय है जो 2003 के अधिनियम के उद्देश्यों के साथ संरेखित है और ओपन एक्सेस पर अनुचित प्रतिबंध नहीं है।
54. बिजली ग्रिड आवृत्ति स्थिरता और मांग-आपूर्ति संतुलन के सिद्धांतों पर काम करता है। निर्धारित निकासी या इंजेक्शन से कोई भी विचलन ग्रिड अस्थिरता का कारण बन सकता है, जो संभावित रूप से सभी उपभोक्ताओं को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, विवादित नियम जनरेटर और उपभोक्ताओं के बीच अनुशासन लागू करके इस तरह के व्यवधानों को रोकने में एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। लगाए गए दंड सिस्टम के रणनीतिक खेल को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक निवारक तंत्र हैं कि सभी हितधारक शेड्यूलिंग मानदंडों का पालन करें। राज्य आयोग की भूमिका राज्य में सभी उपभोक्ताओं को एक कुशल, विश्वसनीय और स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के व्यापक उद्देश्य के साथ व्यक्तिगत बाजार प्रतिभागियों के अधिकारों को संतुलित करना है।

III. क्या विनियमन 26(7) 24 घंटे की अग्रिम सूचना की आवश्यकता के लिए अधिकारातीत है, जिससे तत्काल खरीद को रोका जा सकता है और 2003 के अधिनियम द्वारा संरक्षित ओपन एक्सेस के लिए एक कृत्रिम बाधा पैदा हो सकती है?

55. वर्ष 2003 का अधिनियम प्रतिस्पर्धा, दक्षता और उपभोक्ता हित को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया था, साथ ही बिजली ग्रिड की स्थिरता सुनिश्चित की गई थी। आरईआरसी के नियम इन उद्देश्यों के अनुरूप हैं:

- i. शेड्यूलिंग मानदंडों के माध्यम से बिजली आपूर्ति में पूर्वानुमान और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना,
- ii. ग्रिड परिचालन को अस्थिर करने वाले विचलनों के लिए दंड लगाकर बाजार विकृतियों को रोकना, तथा
- iii. उन गेमिंग प्रथाओं पर अंकुश लगाना, जहां ओपन एक्सेस उपभोक्ता, विशेष रूप से कैप्टिव पावर जनरेटर, अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रिड में हेरफेर कर सकते हैं।

56. विनियमन 26(7), जो अल्पकालिक अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस का लाभ उठाने के लिए 24 घंटे की अग्रिम सूचना अनिवार्य करता है, ग्रिड स्थिरता बनाए रखने और बिजली की उचित समय-सारिणी सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। प्रतिवादियों का तर्क है कि यह आवश्यकता अल्ट्रा वायर्स नहीं है, बल्कि ओपन एक्सेस लेनदेन को नियंत्रित करने वाले व्यापक विनियामक ढांचे के अनुरूप है। बिजली प्रणाली एक संरचित शेड्यूलिंग तंत्र पर काम करती है, और बिना किसी पूर्व सूचना के अनियमित अल्पकालिक पहुंच से व्यवधान, आवृत्ति असंतुलन और

परिचालन अक्षमता हो सकती है। 2003 का अधिनियम ओपन एक्सेस का पूर्ण अधिकार प्रदान नहीं करता है, लेकिन इसे बिजली वितरण की विश्वसनीयता और दक्षता के लिए आवश्यक शर्तों के अधीन करता है।

57. पूर्व सूचना की आवश्यकता एक उचित प्रक्रियात्मक सुरक्षा है जो 2003 के अधिनियम के उद्देश्यों के साथ संरेखित है, विशेष रूप से धारा 42 में निर्धारित उद्देश्यों के साथ, जो ओपन एक्सेस के लिए एक संरचित दृष्टिकोण की परिकल्पना करता है। 24 घंटे की नोटिस अवधि यह सुनिश्चित करती है कि ट्रांसमिशन और वितरण लाइसेंसधारियों के साथ-साथ लोड डिस्पैच केंद्रों के पास अपने शेड्यूल को समायोजित करने और सिस्टम की गड़बड़ी को रोकने के लिए पर्याप्त समय है। इसके अलावा, यह उन संस्थाओं द्वारा दुरुपयोग को रोकता है जो वास्तविक समय की कीमतों में उतार-चढ़ाव का लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे वास्तविक मांग-आधारित खरीद के बजाय स्टॉक व्यापार में संलग्न हो सकते हैं। इसके अलावा, तत्काल खरीद की आवश्यकता वाले वास्तविक समय के बाजार और डे-अहेड मार्केट से बिजली खरीदने का विकल्प हमेशा उपलब्ध रहता है, और विवादित विनियमों द्वारा इसे रोका नहीं जाता है।

58. इसके अलावा, विनियमन ओपन एक्सेसके लिए कोई दुर्गम बाधा नहीं बनाता है, बल्कि इसके कार्यान्वयन में व्यवस्था और पूर्वानुमान लाने का प्रयास करता है। यह आवश्यकता सभी उपभोक्ताओं पर समान रूप से लागू होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी विशेष श्रेणी को कोई अनुचित लाभ नहीं दिया जाता है। इसमें शामिल तकनीकी और विनियामक अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए, विनियमन 26(7) के तहत 24 घंटे की अग्रिम सूचना की शर्त को अधिकारहीन नहीं माना जा

सकता है, क्योंकि यह ओपन एक्सेसके लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-विघटनकारी तंत्र स्थापित करने के लिए राज्य आयोग के विनियामक डोमेन में आता है।

IV. क्या विनियमन 21 मनमाना और भेदभावपूर्ण है, जिससे कैप्टिव जनरेटर और राज्य वितरण कंपनियों के बीच अनुचित भेद पैदा करके कैप्टिव बिजली उत्पादन को हतोत्साहित किया जा रहा है?

59. अपीलकर्ताओं का यह तर्क कि विनियमन सीपीपी पर अनुचित रूप से बोझ डालते हैं, गलत है। आक्षेपित विनियमन ओपन एक्सेस का लाभ उठाने वाले सभी बिजली उत्पादकों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वे कैप्टिव हों या गैर-कैप्टिव। 2003 के अधिनियम की धारा 9 कैप्टिव उत्पादकों के अधिकारों को मान्यता देती है, लेकिन उन्हें ओपन एक्सेस के अनुपालन से छूट नहीं देती है। 2003 के अधिनियम की धारा 42 के तहत बनाए गए एक्सेस विनियमन। विनियामक उपाय - जैसे शेड्यूलिंग, विचलन के लिए दंड, और निकासी सीमाएँ ग्रिड अनुशासन और बाजार स्थिरता के बड़े लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए लगाई जाती हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कैप्टिव जनरेटर को अलग किया जा रहा है या अन्य जनरेटर की तुलना में कठोर परिस्थितियों के अधीन किया जा रहा है।

60. विनियमन 21, जो कैप्टिव पावर जनरेटर के लिए शेड्यूलिंग, दंड और अनुपालन के पहलुओं को नियंत्रित करता है, को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह कैप्टिव जनरेटर और राज्य डिस्कॉम के बीच अनुचित अंतर पैदा करता है, जो कथित तौर पर कैप्टिव उत्पादन को हतोत्साहित करता है। हालांकि, प्रतिवादियों का तर्क है कि विनियमन न तो मनमाना है और न ही भेदभावपूर्ण है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के

- लिए एक आवश्यक ढांचा है कि सभी बिजली जनरेटर निष्पक्ष और पारदर्शी नियमों के तहत काम करें। 2003 का अधिनियम, धारा 9 और 42 के माध्यम से, कैप्टिव पावर जनरेटर के अधिकारों को मान्यता देता है, साथ ही उन्हें सिस्टम की अक्षमताओं और असमान लाभों को रोकने के लिए नियामक निगरानी के अधीन भी करता है।
61. कैप्टिव पावर जनरेटर और राज्य डिस्कॉम के बीच का अंतर मनमाना नहीं है, बल्कि उनकी भूमिकाओं और दायित्वों में संरचनात्मक अंतर से उत्पन्न होता है। जबकि कैप्टिव जनरेटर मुख्य रूप से स्व-उपभोग के लिए बिजली उत्पन्न करते हैं, वितरण कंपनियाँ व्यापक उपभोक्ता आधार की सेवा करती हैं, जिसके लिए उन्हें सार्वभौमिक आपूर्ति दायित्वों सहित व्यापक विनियामक प्रतिबद्धताओं का पालन करना आवश्यक होता है। इस प्रकार, उनके कार्यों की प्रकृति के आधार पर विभेदक व्यवहार कानूनी रूप से उचित है और अनुचित भेदभाव नहीं है। इसके अलावा, विनियमन 21 कैप्टिव जनरेटर पर अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि उनके संचालन गिड अनुशासन के अनुरूप हों, जिससे बड़े बिजली पारिस्थितिकी तंत्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
62. इसके अतिरिक्त, 2003 के अधिनियम के तहत गैर-भेदभाव का सिद्धांत सभी संस्थाओं के लिए समान व्यवहार को अनिवार्य नहीं करता है, बल्कि किसी भी भेदभाव के लिए तर्कसंगत आधार की आवश्यकता होती है। इस मामले में, कैप्टिव जनरेटर पर लगाई गई विनियामक शर्तों का उद्देश्य समान अवसर सुनिश्चित करना और ओपन एक्सेस प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकना है। विनियामक ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि कैप्टिव जनरेटर वितरण लाइसेंसधारियों और अन्य गिड प्रतिभागियों पर अतिरिक्त

बोझ डाले बिना सिस्टम स्थिरता में उचित योगदान दें। इस प्रकार, विनियमन 21 न तो मनमाना है और न ही भेदभावपूर्ण है, बल्कि बिजली क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए एक आवश्यक और आनुपातिक उपाय है।

V. क्या 2016 के विनियमनों द्वारा अपीलकर्ताओं के ओपन एक्सेस के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है?

63. अपीलकर्ताओं का तर्क है कि 2016 के विनियमन कैप्टिव पावर जनरेटर पर अनुचित प्रतिबंध लगाते हैं, जो 2003 के अधिनियम की धारा 9 के तहत गारंटीकृत ओपन एक्सेस के उनके अधिकार को प्रभावी रूप से समाप्त कर देते हैं। हालांकि, प्रतिवादियों का तर्क है कि 2016 के विनियमन ओपन एक्सेस को समाप्त नहीं करते हैं, बल्कि इसके निष्पक्ष और कुशल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक शर्तें निर्धारित करते हैं। अधिनियम की धारा 42 गैर-भेदभावपूर्ण ओपन एक्सेस प्रदान करती है, लेकिन ग्रिड सुरक्षा, परिचालन अनुशासन और गैर-विघटनकारी बिजली लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए राज्य आयोग द्वारा तैयार किए गए विनियमों के अधीन भी है। इस प्रकार 2016 के विनियमन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध निषेधात्मक बाधाओं के बजाय नियामक सुरक्षा उपाय हैं।
64. 2016 के विनियमों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण यह दर्शाता है कि उनका मुख्य उद्देश्य बिजली ग्रिड की विश्वसनीयता बनाए रखना, उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करना और ओपन एक्सेस प्रावधानों के सट्टा दुरुपयोग को रोकना है। अल्पकालिक ओपन एक्सेस के लिए अग्रिम सूचना की आवश्यकता, अनुबंधित मांग से विचलन के लिए दंड और कैप्टिव पावर जनरेटर के लिए विशिष्ट शर्तें सभी एक संरचित और

- पूर्वानुमानित बिजली बाजार बनाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। ये प्रावधान पात्र उपभोक्ताओं को ओपन एक्सेस का लाभ उठाने से नहीं रोकते हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करते हैं कि वे ऐसा एक ऐसे ढांचे के भीतर करें जो वितरण लाइसेंसधारियों और अन्य उपभोक्ताओं सहित सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करता हो। इसके अलावा, 2003 के अधिनियम की धारा 181 राज्य आयोगों को वैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक नियम बनाने का अधिकार देती है, जिससे आरईआरसी द्वारा शुरू किए गए नियामक उपायों को मान्य किया जा सके।
65. इसके अलावा, 2003 का अधिनियम, ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के अधिकारों और बिजली क्षेत्र की परिचालन चिंताओं के बीच संतुलन की परिकल्पना करता है। 2016 के विनियमन, कुछ शर्तें लगाते हुए, ओपन एक्सेस को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करते हैं कि इसका कार्यान्वयन न्यायसंगत हो और ग्रिड अनुशासन को खतरे में न डाले। ओपन एक्सेस उन उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध रहता है जो शेड्यूलिंग दायित्वों और वित्तीय प्रतिबद्धताओं सहित नियामक पूर्वापेक्षाओं का अनुपालन करते हैं। इस प्रकार, अपीलकर्ताओं का यह दावा कि ओपन एक्सेस का उनका अधिकार समाप्त हो गया है, गलत है। 2016 के विनियमन 2003 के अधिनियम के विधायी इरादे के अनुरूप हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ओपन एक्सेस का प्रयोग इस तरह से किया जाता है कि इससे कोई नुकसान न हो। सिस्टम की स्थिरता, निष्पक्षता या आर्थिक व्यवहार्यता से समझौता करना। इसलिए, विनियामक ढांचा ओपन एक्सेस को प्रतिबंधित नहीं करता है, बल्कि बिजली क्षेत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक उचित बाधाओं के भीतर इसे संचालित करता है।

निष्कर्ष

66. 2003 के अधिनियम के तहत वैधानिक योजना यह अनिवार्य करती है कि राज्य आयोगों द्वारा बनाए गए विनियमन व्यापक जनहित में होने चाहिए। प्रतिवादियों ने सफलतापूर्वक यह स्थापित किया है कि विवादित विनियमन सभी बाजार सहभागियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करते हुए पावर ग्रिड की अखंडता की रक्षा करते हुए इस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं।
67. आरईआरसी को 2003 के अधिनियम से अपने अधिकार प्राप्त होते हैं, जो इसे ओपन एक्सेस, समय-निर्धारण और दंड को नियंत्रित करने वाले नियमों को तैयार करने की शक्ति प्रदान करता है। 2003 के अधिनियम की धारा 86 (1) (सी) विशेष रूप से राज्य आयोगों को अंतर-राज्यीय संचरण और बिजली के व्हीलिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए सशक्त बनाती है। इसके अलावा, धारा 181 आयोग को 2003 के अधिनियम और उसके उद्देश्यों के अनुरूप नियम बनाने का अधिकार देती है। विवादित नियम इन वैधानिक शक्तियों के प्रयोग में बनाए गए हैं। समय-निर्धारण, दंड लगाने और निकासी पर सीमा की आवश्यकता मनमानी नहीं है, बल्कि ग्रिड स्थिरता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए आयोग के नियामक दायरे में आने वाले उपाय हैं। 2003 का अधिनियम ओपन एक्सेस के लिए एक संरचित और निष्पक्ष तंत्र की कल्पना करता है, जबकि यह सुनिश्चित करता है कि बाजार प्रतिभागी बड़े उपभोक्ता आधार के लिए हानिकारक प्रथाओं में शामिल न हों। इसके अलावा, 2003 के अधिनियम की धारा 42 के तहत, राज्य आयोग को वितरण में ओपन एक्सेस को विनियमित करने और लागू शुल्क और शर्तों को निर्दिष्ट करने का अधिकार है। उत्तरदाताओं ने प्रदर्शित किया है कि ये शर्तें बिजली शेड्यूलिंग में

अनुशासन बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि ओपन एक्सेस उपभोक्ता शेड्यूलिंग मानदंडों या दंड से बचकर अन्य उपभोक्ताओं पर अनुचित लाभ न उठाएँ।

68. जोधपुर बेंच ने 29.08.2016 के अपने साझा आदेश में, जिसे हमारे समक्ष सिविल अपील संख्या 7965/2019 और 7966/2019 में चुनौती दी गई है, 2016 के विनियमों की वैधता को सही ठहराया है और कहा है कि कैप्टिव पावर जनरेटर को होने वाली किसी भी असुविधा या यहां तक कि कुछ कठिनाई के कारण विनियमन अवैध नहीं होंगे। उच्च न्यायालय ने यह भी सही ढंग से इंगित किया कि अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहे हैं कि आरोपित विनियमन उल्लंघन में हैं। भाग-III या भारतीय संविधान के किसी अन्य प्रावधान के तहत संरक्षित उनके अधिकारों के बारे में या ऐसा करने की क्षमता के बिना विनियमों को अधिनियमित किया गया है या वे स्पष्ट रूप से मनमाने या अनुचित हैं। उच्च न्यायालय ने सही माना है कि 2016 के विनियम 2003 के अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप हैं और इन्हें 2003 के अधिनियम की धारा 42 के साथ धारा 181 के तहत उपलब्ध क्षमता के अनुसार तैयार किया गया है।

69. जयपुर बेंच ने अपने दिनांक 06.09.2016 के आदेश में, जिसे हमारे समक्ष सिविल अपील संख्या 7964/2019 में चुनौती दी गई है, सही रूप से माना है कि उसके समक्ष आए मुद्दे, जोधपुर बेंच के आदेश द्वारा पूरी तरह से कवर किए गए थे।

70. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में अपीलें खारिज की जाती हैं, और उच्च न्यायालय के आदेश बरकरार रखे जाते हैं।

.....न्यायधीश
विक्रम नाथ

.....न्यायधीश
.....प्रसन्ना बी.वाराले

नई दिल्ली
अप्रैल 01, 2025

एंडनोट

- लेखक
- 1. 2016 के विनियम
- 2. आरईआरसी
- 3. अधिनियम 2003.
- 4. सीपीपी.
- 5. 2004 के विनियम
- 6. सीईआरसी
- 7. सीईआरसी जीएनए विनियम
- 8. (2017) 14 एससीसी 80
- 9. वितरण कंपनियां
- 10. एनईपी 2005.
- 11. पीपीए
- 12. (2019) 3 एससीसी 352, पैरा 38
- 13. (2015) 12 एससीसी 611, पैरा 32

TRANSLATED BY;

Ravindra Jala

Advocate

Rajasthan High Court

Jodhpur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13